अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - सभी स्कीमों के लिए समान

प्रश्न : ग्रामीण एवं शहरी भारत में हस्तशिल्प की क्या भूमिका है ?

उत्तर : देश की अर्थव्यवस्था में हस्तिशिल्प क्षेत्र एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। हस्तिशिल्प में विशाल संभावनाएं हैं, चूंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों को, बल्कि शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को बनाए रखने की भी क्षमता है। वर्तमान में, हस्तिशिल्प क्षेत्र का रोजगार सृजन तथा निर्यात में विशेष योगदान जारी है।

प्रश्न : हस्तशिल्प कारीगरों के संवर्धन एवं कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें कौन सी हैं ?

उत्तर : हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए मंत्रालय 8 स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है :-

- 1. दस्तकार सशक्तिकरण योजना (एएचवीवाई) कलस्टरों के विकास के लिए।
- डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम डिजाइन एवं टूल्स के लिए।
- 3. **मानव संसाधन विकास स्कीम** कौशल उन्नयन के लिए।
- 4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ स्कीम स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा तथा ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए।
- 5. **इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी विकास** इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे शहरी हाट आदि को वित्तीय सहायता के लिए।
- 6. मेगा कलस्टर यह कार्यक्रम मार्केट लिंकेजेस और उत्पाद विविधिकरण के साथ मिलकर इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं के उन्नयन को समर्थित करता है।
- 7. विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए वितीय सहायता प्रदान करना।
- 8. अनुसंधान एवं विकास स्कीम अनुसंधान अध्ययन शुरू करने के लिए।
- 9. उपर्युक्त स्कीमों के अलावा, जम्मू एवं कश्मीर में अन्य शिल्पों के लिए कालीन प्रशिक्षण स्कीम तथा विशेष परियोजना और हस्तकला अकादमी।

प्रश्न : क्या विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की स्कीमें राज्य-वार कोटे के आधार पर क्रियान्वित की जाती है?

उत्तर : जी नहीं। विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय की स्कीमें किसी राज्य कोटे के निरपेक्ष राज्य विशिष्ट नहीं किन्तु आवश्यकता आधारित है।

प्रश्न : किसी स्कीम के तहत लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है?

उत्तर : एक व्यक्तिक कारीगर लाभ प्राप्त करने के लिए कारीगर आईडी कार्ड (जिसे पहचान कार्ड भी कहते है) प्राप्त कर सकता है। आईडी कार्ड प्राप्त करने के उपरांत वे आवश्यकता अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते है। फील्ड एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के पते हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.handicrafts.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न : हस्तशिल्प कारीगरों को कौशल विकास प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाता है?

उत्तर : कारीगरों की कौशल विकास आवश्यकताओं को इस कार्यालय की दो स्कीमों नामश: मानव संसाधन विकास (एचआरडी) तथा डिजाइन एवं प्रोद्योगिकी उन्नयन स्कीम के माध्यम से संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कारीगरों के समग्र उत्थान के लिए कलस्टर स्कीम अर्थात अंबेडकर हस्तिशिल्प विकास योजना के तहत, कौशल उन्नयन और डिजाइन उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रश्न : हस्तशिल्प क्षेत्र को उच्च वृद्धि प्रक्षेप पथ पर अग्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर : हस्तशिल्प क्षेत्र को उच्च वृद्धि प्रक्षेप पथ पर अग्रसारित करने के साथ-साथ मौजूदा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे है :-

क) निच बाज़ार के लिए प्रीमियम हस्तशिल्प उत्पादों का संवर्धन।

- ख) उपयोगिता आधारित, लाइफ स्टाइल तथा हस्तशिल्प उत्पादों के व्यापक उत्पादन के लिए उत्पादन आधार का विस्तारण।
- ग) हेरिटेज/ल्प्तप्राय शिल्पों का संरक्षण एवं बचाव।

प्रश्न : माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा 08 मार्च, 2017 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान क्या घोषणाएँ की गई थी? उत्तर : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित उपक्रमों के साथ दिनांक 08 मार्च, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में महिला कारीगरों/बुनकरों के सम्मेलन का आयोजन किया :-

- ✓ मिहला हथकरघा कारीगरों और हस्तिशिल्प बुनकरों के लिए विशेष रूप से 'कमलादेवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय प्रस्कार' नामक प्रस्कारों की एक नई श्रेणी की घोषणा की गई।
- ✓ थाइ रीलिंग की अस्वस्थकर और अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए महिला सिल्क रीलर्स को बुनियाद रीलिंग मशीनें वितरित की गई।
- "हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल" आरंभ किया गया जिससे उपांत धनराशि और ब्याज़ में छूट की धनराशि को शीघ्र हस्तांतरित करना संभव हो पाएगा।
- ✓ मधुबनी चित्रकारी, कशीदाकारी शिल्प और मिरर वर्क शिल्प के साथ कशीदाकारी में महिला लाभार्थियों के लिए तीन अनुसूचित जाति कारीगर कलस्टर परियोजनाएं और दो अनुसूचित जनजाति कारीगर कलस्टर परियोजनाएं आरंभ की गई।
- ✓ इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त [हथकरघा] और विकास आयुक्त [हस्तिशिल्प], वस्त्र मंत्रालय और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम [एनबीसीएफ़डीसी] के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसका प्रमुख उद्देश्य हथकरघा एवं हस्तिशिल्प क्षेत्र में कार्यरत पिछड़े वर्गों के हथकरघा बुनकरों एवं कारीगरों की आय में वृद्धि करना है।

प्रश्न : हस्तकला अकादमी के उद्देश्य क्या है?

उत्तर : 12 वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तिशिल्प क्षेत्र के लिए कार्यकारी समूह की सिफ़ारिशों के अनुसार, हस्तिशिल्प/ हथकरघा को सहायता, संरक्षण, पुनर्जीवन तथा प्रलेखन के उद्देश्य से सार्वजिनक निजी सहभागिता (पीपीपी) के तहत **हस्तकला अकादमी** की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके निम्न लक्ष्य एवं उद्देश्य है :-

- पारंपरिक कला, हस्तिशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र में अध्ययन, पारंपरिक रिवाजों, इतिहास तथा व्यवहार में
 अन्संधान एवं जागरूकता को प्रोत्साहन एवं संवर्धन।
- विरासती (हेरिटेज) हथकरघा एवं हस्तिशिल्प तथा पारंपिरक कला का पिरक्षिण, पुनर्जीवन, पुरालेखन एवं प्रलेखीकरन का समर्थन करना, जो ल्प्त होने के खतरे में है।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे कला एवं शिल्प संग्रहालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना जिसमें कलाकृतियों
 (आर्टिफ़ेक्ट्स) के साथ-साथ कलात्मक एवं सांस्कृतिक ज्ञान को प्रदर्शित किया गया हो।
- कारीगरों, शिल्पियों तथा उनकी समितियों के मध्य सहयोग बढ़ाना और ऐसी समितियों के विकास में सहायता
 करना।

प्रश्न : हस्तशिल्प क्षेत्र में निधियां प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर एमआईएस हेतु पोर्टल के बारे में ब्यौरा दें?

उत्तर : नीति आयोग पोर्टल पर एनजीओ के पंजीकरण के अतिरिक्त, विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय ने दिनांक 15 जनवरी, 2017 को एक वृहत पोर्टल संचालित किया है जिसमें इच्छुक एनजीओ नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यदि सफलतापूर्वक नामांकन कर लेते हैं तो, विभिन्न स्कीमों के तहत परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल आवेदनों की यूसर फ्रेंडली प्रोसेसिंग में सहायता प्रदान करेगा और विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय की विभिन्न स्कीमों में भाग लेने वाले एनजीओ पर वृहत एमआईएस में भी समर्थ बनाएगा। यह स्कीमों के पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

प्रश्न : पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेत् क्या प्रयास किए गए है?

उत्तर : विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय हस्तिशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए अखिल भारत आधार पर "राष्ट्रीय हस्तिशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" छत्र के तहत विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है तािक समग्र रूप से हस्तिशिल्प कलस्टर के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर बल दिया जा सके। एनएचडीपी के निम्नलिखित घटक है :-

क) अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)

- i. दस्तकार सशक्तिकरण योजना (एएचवीवाई)
- ii. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
- iii. मानव संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी)
- iv. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
- v. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी विकास

ख) मेगा कलस्टर

- II) विपणन सहायता एवं सेवाएं (एमएसएस)
- III) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

कालीन स्कीम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. कालीन ब्नाई प्रशिक्षण स्कीम क्या है?

यह एक विभागीय प्रशिक्षण योजना (गैर योजना) है जो केवल जम्मू एवं कश्मीर के लिए है जिसमें संभावित कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए कालीन बुनाई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते है।

2. स्कीम के तहत कितने केंद्र एवं सेवा केंद्र हैं?

कालीन बुनाई प्रशिक्षण सेवा केन्द्रों की देखरेख में 175 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं जो जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, लेह और फील्ड प्रशानिक प्रकोष्ठ, श्रीनगर में स्थित है।

3. स्कीम के उद्देश्य क्या है?

- कालीन बुनाई में उत्पादन आधार को बढ़ाना ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हस्त निर्मित कालीनों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
- कारीगरों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।

4. उन्नत प्रशिक्षण केंद्र क्या है?

यह प्रशिक्षण केंद्र कालीन बुनाई में उन्नत कौशल प्रदान करने पर केन्द्रित है। इन केन्द्रों में केवल कुशल प्रशिक्षुओं का ही चयन किया जाता है।

5. प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र क्या है?

यह केंद्र नए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने हेतु लक्ष्यांकित है जिन्हें कालीन बुनाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

6. प्रशिक्षुओं को क्या प्रोत्साहन दिए जाते है?

उन्नत प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह 2000/- रुपए प्रदान किए जाते है। प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रति माह 1500/- रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते है।

7. छात्रवृत्ति के वितरण का तरीका क्या है?

छात्रवृत्ति सीधे संबंधित प्रशिक्षुओं के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में भेजी जाती है।

8. प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की विधि क्या है?

प्रचलन के अनुसार ग्राम प्रधान/ग्राम समिति नजदीकी सेवा केंद्र के पास प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का अनुरोध प्रस्तुत करती है। सेवा केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा सभी गावों का सर्वेक्षण किया जाता है और निष्कर्षों तथा सुझावों के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय के सुझावों और वैधता के उपरांत नए केंद्र की स्थापना की जाती है।

9. प्रशिक्षुओं के चयन की क्या प्रक्रिया है?

चयनित गाँव और नजदीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं से अनुरोध किया जाता है कि वे एक निर्धारण परीक्षा में भाग लें जिसमें प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षक, कालीन प्रशिक्षण अधिकारी की सहायता से सहायक निदेशक द्वारा निर्धारण के दौरान प्रदर्शित कौशल स्तर के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार की जाती है। प्रशिक्षुओं को उनकी योग्यता के आधार पर अनंतिम रूप से चुना जाता है।

10. औज़ार तथा कच्चा माल कौन उपलब्ध कराता है?

औज़ार तथा कच्चा माल विभाग द्वारा प्रदान किए जाते है।

11. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्मित कालीन का क्या होता है?

निर्मित कालीनों को अनुमोदित दरों पर खुले बाज़ार में बेच दिया जाता है और प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है।

12. जम्मू एवं कश्मीर के अलावा देश में कितने प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं?

इस विभागीय प्रशिक्षण स्कीम के तहत वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर के अलावा देश के किसी भी भाग में कोई भी कालीन ब्नाई प्रशिक्षण केंद्र नहीं चल रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - एएचवीवाई (दस्तकार सशक्तिकरण योजना) स्कीम

प्रश्न : बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना क्या है?

उत्तर : बाबा साहेब अंबेडकर हस्तिशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) केंद्रीय क्षेत्र के रूप में भारतीय हस्तिशिल्प के साथ एक कलस्टर विकास उन्मुख परियोजना है जो वर्ष 2001-2002 के दौरान वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार दवारा आरंभ की गई है।

भारत सरकार की यह पहल कारीगर कलस्टरों को व्यावसायिक प्रबंधन तथा आत्मनिर्भर समुदाय उद्यम के रूप में विकसित करने के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्पों को संवर्धित करने की ओर लक्ष्यांकित है।

एएचवीवाई स्कीम सहयोगी संस्थानों जैसे गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, शिल्प विकास परिषदों आदि के साथ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से पूरे देश में क्रियान्वित की जाती है, जिसके अनेक संघटक है जो निम्न प्रकार से हैं:-

- 1. सामाजिक इंटरवेंशंस
- 2. प्रोद्योगिकीय इंटरवेंशंस
- 3. विपणन (मार्केटिंग) इंटरवेंशंस
- 4. वित्तीय इंटरवेंशंस
- 5. कलस्टर विशिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधित इंटरवेंशंस।

स्कीम का मुख्य उद्देश्य कारीगरों के हस्तिशिल्प कौशल में सुधार करना, उन्हें नवीनतम डिजाइनों से लैस करना, उन्हें छोटे औजारों के प्रयोग में प्रशिक्षित करना जो उनके शिल्प कार्य में सुधार करने में सहायक होंगे, उन्हें बाज़ार में होने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार करना, उन्हें उनके लाभ के लिए कच्चे माल तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में समर्थ बनाना और पारंपिरक कारीगरों को उनकी आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने में शिल्पियों की सहायता के लक्ष्य के साथ मदद करना है।

प्रश्न : स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर : लाभार्थियों को संघटित करने का कार्य उन कलस्टरों में प्रारम्भ किया जाएगा जिनका विकास किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे कलस्टरों की भौगोलिक पहचान का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और इन कलस्टरों की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव तक अथवा म्युनिसिपल क्षेत्रों में वार्ड तक सीमित होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में एक कलस्टर के तहत निकटवर्ती ग्रामों को भी शामिल किया जा सकता है जिसकी सीमा तीन (3) किलोमीटर के भीतर निर्धारित की गई है। इस क्रियाकलाप के अंतर्गत शिल्पकारों को स्वावलंबन समूहों, बचत एवं उधार समितियों के रूप में संघटित किया जाएगा तथा सामुदायिक व्यवसाय उद्यमों को चलाने तथा इसके गठन के विभिन्न पहलुओं पर स्वावलंबन समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से किये जा रहे आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरुप भारत ने आर्थिक विकास के एक नये युग में प्रवेश किया है और इसलिए हस्तशिल्प क्षेत्र/सहकारी समितियों/स्वावलंबन समूहों [एसएचजी] के लिए सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम एकदम अनिवार्य है। इस सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शिल्पकारों को विकास प्रक्रिया के सिक्रय उद्यमी-व-प्राथमिक पणधारी बनाकर और उन्हें खुले मंच पर लाकर उनकी परिचालन कुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके तथा जिससे उनको एक व्यवहार्य और स्वावलंबी आर्थिक अस्तित्व प्रदान किया जा सके। संघटन कार्य को हाथ में लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पहले से ही गठित स्वावलंबन समूहों [एसएचजी] को अपनी परिस्थिति का लाभ पहुंचना चाहिए। जहां ऐसा करना स्वाभाविक न हो केवल वही नए एसएचजी, संघ आदि गठित किया जायें।

प्रश्न : चालू कलस्टरों के बारे में सूचना कैसे प्राप्त करें?

उत्तर: चालू कलस्टरों की सूचना हमारे संबंधित फील्ड कार्यालयों या क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके रहने के स्थान/जिले/ब्लॉक के तहत प्रदान की जाएगी। उक्त सूचना हमारी आधिकारिक वेबसाइट अर्थात <u>www.handicrafts.nic.in</u> पर उपलब्ध है।

प्रश्न : देश के महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन कलस्टर कौन से हैं ?

उत्तर : हस्तिशिल्प के उच्च निर्यात को प्राप्त करने के लिए देश के महत्वपूर्ण हस्तिशिल्प उत्पादन कलस्टर निम्न प्रकार से हैं :-

- म्रादाबाद (उत्तर प्रदेश) कलात्मक धात्पात्र और कृत्रिम आभूषण के लिए।
- सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) काष्ठ शिल्प तथा रोट आइरन हस्तशिल्प के लिए।
- जोधप्र (राजस्थान) काष्ठ, रोट आइरन तथा समुद्र शंख हस्तशिल्प के लिए।
- नरसापुर (आंध्र प्रदेश) लेस एवं लेस की वस्तुओं के लिए।
- श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) कालीनों के लिए।
- भदोही, मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) कालीनों के लिए।
- जयपुर (राजस्थान) कालीनों के लिए।

प्रश्न : एएचवीवाई के तहत आवेदन करने वाले पात्र संगठन कौन से हैं?

उत्तर : राज्य सरकार द्वारा समर्थित केंद्र/राज्य हथकरघा एवं हस्तिशिल्प विकास निगमें और अन्य सरकारी निगमें/एजेंसियां या वितीय संस्थानों/बैंकों द्वारा समर्थित संगठन और निफ्ट, निड, यूनिवर्सिटी विभाग, डीआरडीए, एनआईएसआईईटी, कारीगर संघ, सहकारी संस्थाएं, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, बहु-राज्य- सहकारी संस्थाएं, ट्रस्ट, ईडीआई एवं अन्य समान निकाय और वे गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) जो विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय के साथ संबंद्ध हैं।

प्रश्न : नई परियोजनाओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कलस्टर कारीगरों के विकास के लिए अपने परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में आधिकारिक वेबसाइट <u>www.handicrafts.nic.in</u> पर ऑनलाइन भेज सकते है।

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि के दस्तावेजी प्रमाण और परियोजना व्यवहार्यता तथा वर्गीकरण के आधार पर, संबंधित सहायक निदेशक (ह.) अपने सुझाव संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली के विचारार्थ ऑनलाइन भेज सकते है। सिफारिश के समय, संबंधित सहायक निदेशक (ह.)/क्षेत्रीय कार्यालय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)/ट्रस्ट के मामले में मुख्यालय स्तर पर विचार करने हेतु विकास आयुक्त (ह.) कार्यालय तथा नीति आयोग में पंजीकरण के तहत उनके सूचीबद्ध होने की जांच अपने स्तर पर कर सकते है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - डिजाइन स्कीम

प्रश्न : डिजाइन स्कीम के बारे में।

उत्तर : इस स्कीम का लक्ष्य विदेशी बाजारों के लिए अभिनव डिजाइनों और प्रोटोटाइप उत्पादों के विकास, लुप्तप्राय शिल्पों के पुनरुत्थान और विरासत के परिरक्षण आदि के माध्यम से कारीगरों के कौशल को उन्नत करना है। स्कीम के निम्नलिखित घटक है:-

- 1. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला (डीडीडबल्य्)।
- 2. एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना (आईडीपी)।
- 3. डिजाइन प्रोटोटाइप के लिए निर्यातक एवं उदयमी को सहायता ।
- 4. डिज़ाइन, ट्रेंड और टेक्निकल कलर फॉरकास्ट के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन आसूचना। आज की आवश्यकताओं के अन्रूप इस योजना में मजदूरी मुआवजे में वृद्धि, कार्यक्रम की अवधि आदि जैसे कुछ बदलाव किए गए हैं।
- 5. औजारों, सुरक्षा उपकरणों, लूमों, भट्टी आदि की सप्लाई के लिए वितीय सहायता।
- 6. हस्तिशिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र (एनएमसी)।

प्रश्न : डिजाइन स्कीम के तहत व्यक्तिक कारीगरों को लाभ।

उत्तर : डिजाइन स्कीम के तहत व्यक्तिक कारीगरों को निम्न लाभ हैं :-

- कारीगरों को उनके तकनीकी कौशल में वृद्धि तथा उत्पाद डिजाइन की बेहतरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कारीगरों को एक माह में 25 दिनों के लिए 300/- रुपए प्रतिदिन की दर से वेतन प्रतिपूर्ति।
- सिद्धहस्तशिल्पी को 30,000/- रुपए प्रतिमाह की दर से वेतन।
- कारीगरों को टूल किटों का वितरण।
- शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र के माध्यम से सिद्धहस्तशिल्पियों को पहचान।
- कारीगर मदों के उत्पादन हेतु बाज़ार की रुचि के अनुसार नए एवं अभिनव डिजाइनों द्वारा प्रशिक्षित होने तथा लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे।
- थोक उत्पादन के लिए कारीगरों को डिजिटल डिजाइनों का प्रावधान।

प्रश्न : चालू डीडीडबल्यू/आईडीपी के बारे में सूचना कैसे प्राप्त करें?

उत्तर : संबंधित फील्ड कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले जिले या ब्लॉक में चालू डीडीडबल्यू/आईडीपी के बारे सूचना प्रदान की जाएगी।

प्रश्न : उत्पादन के नवीनतम ट्रेंडो के अनुसार नए डिजाइनों के बारे में सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर : सूचना हमारे संबंधित फील्ड कार्यालयों, डिजाइन केन्द्रों या डिजाइन बैंकों/एनसीडीपीडी/ईपीसीएच/एमएचएससी/आईआईसीटी आदि के द्वारा प्रदान की जा सकती है।

प्रश्न : कितने क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र हैं और वे कहां स्थित हैं?

उत्तर : पाँच क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है।

प्रश्न : इन क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों का उद्देश्य क्या है?

उत्तर : इन क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों का उद्देश्य उनके क्षेत्रों में बदलते बाज़ार रुझानों के अनुसार उत्पाद विकास तथा विविधिकरण की सुविधा देने हेतु डिजाइन मार्गदर्शन प्रदान करना है। उत्पादों की डिजाइनिंग के समय, इस बात पर ज़ोर दिया जाए कि डिजाइन सरल, कम श्रमयुक्त एवं कार्यात्मक हो जिसमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया हो।

प्रश्न : उनके द्वारा कौन सी गतिविधियां शुरू की गई है?

उत्तर : यह केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न शिल्पों में डिजाइन कार्यशाला, एकीकृत डिजाइन परियोजनाएं, शिल्प जागरूकता कार्यक्रम, उन्नत टूल किटों का विकास तथा अनुसंधान कार्य संचालित करते हैं।

प्रश्न : क्या हस्तिशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट शिल्पियों को कोई पहचान प्रदान की जाती है?

उत्तर : जी हां, सिद्धहस्तिशिल्पियों को शिल्पकारिता में उत्कृष्टता बनाए रखने तथा हमारी पुरातन परंपरा को जीवित रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जीवन में एक बार शिल्पी को शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र (एनएमसी) प्रदान किए जाते है।

प्रश्न : पुरस्कृतों को किस प्रकार की सहायता तथा निधियन पद्धति प्रदान की जाती है?

उत्तर : प्रस्कृतों को निम्न प्रकार की सहायता तथा निधियन पद्धति प्रदान की जाती है :-

- शिल्प गुरु के लिए स्वर्ण पदक, 2 लाख रुपए और ताम पत्र।
- राष्ट्रीय पुरस्कृत के लिए 1 लाख रुपए एवं ताम पत्र।
- राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारकों के लिए 75,000/- रुपए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मानव संसाधन विकास

प्रश्न : मानव संसाधन विकास स्कीम तथा इसके संघटक।

उत्तर : मानव संसाधन विकास योजना [एचआरडी] का निरुपण हस्तिशिल्प क्षेत्र को अर्हताप्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह कार्यबल वर्तमान बाजार की जरुरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवता वाले उत्पादों के उत्पादन हेतु मजबूत उत्पादन आधार तैयार करने में योगदान देगा। यह योजना अपने संघटको के माध्यम से अपेक्षित इनपुट प्रदान करने के द्वारा हस्तिशिल्प हेतु डिजाइनरों के प्रशिक्षित काडर के रूप में क्षेत्र के लिए मानव पूंजी के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है। इसमें कारीगरों को अपना व्यवसाय सफलता से शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का भी प्रावधान है। मानव संसाधन विकास योजना के तहत 5 संघटक शामिल है जो निम्न प्रकार से है-

- 1. संस्थापित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।
- 2. हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- 3. ग्र-शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण।
- 4. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण ।
- 5. डिज़ाइन मेंटॉरशिप तथा प्रशिक्ष्तता कार्यक्रम ।

प्रश्न : एचआरडी स्कीम के तहत व्यक्तिक कारीगरों को लाभ।

उत्तर : एचआरडी स्कीम के तहत व्यक्तिक कारीगरों को निम्न लाभ हैं :-

- कारीगरों को उनके कौशल उन्नयन हेत् प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें।
- सिद्धहस्तशिल्पी को 25,000/- से 30,000/- रुपए तक प्रतिमाह की दर से वेतन।
- राष्ट्रीय डिजाइनर को 30,000/- रुपए प्रतिमाह की दर से फीस।
- कारीगरों को एक माह में 24 दिनों के लिए 300/- रुपए प्रतिदिन की दर से वेतन प्रतिपूर्ति।
- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण घटक के तहत कारीगरों को एक माह में 24 दिनों के लिए 400/- रुपए प्रतिदिन की दर से वेतन प्रतिपूर्ति।
- 1500/- रुपए प्रतिमाह की दर से यात्रा भता।
- एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कौशल हस्तांतरण हेतु गुरु शिष्य परंपरा।
- ग्रु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षुओं को 2,000/- रूपए की टूल किट प्रदान की जाती है।

प्रश्न : अपने क्षेत्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सूचना कैसे प्राप्त करें?

उत्तर : संबंधित फील्ड कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले जिले या ब्लॉक में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे सूचना प्रदान की जाएगी।

प्रश्न : गुरु शिष्य परंपरा प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है?

उत्तर : यह घटक शिल्प के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हुए सिद्धहस्तशिल्पियों से नई पीढ़ी को पारंपरिक ज्ञान/कौशल का हस्तांतरण प्रदान करता है। इस घटक में प्रतिभाशाली शिल्पियों के माध्यम से अर्द्धकुशल/अकुशल कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रश्न : गुरु शिष्य परंपरा में नवीनतम संशोधन क्या है?

उत्तर : गुरु शिष्य परंपरा में नवीनतम संशोधन निम्न है :-

- i. ग्रु की भूमिका केवल मास्टर ट्रेनर की होगी। उनकी प्रशिक्षुओं के चयन में कोई भूमिका नहीं होगी।
- ii. शिष्य/प्रशिक्षु का चयन पारदर्शी रीति से संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के साथ-साथ किसी सरकारी अधिकारी के सहयोग से सहायक निदेशक प्रभारी हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र की होगी।
- iii. प्रशिक्षुओं के चयन हेतु आवेदन पारदर्शी तथा खुले तरीके से आमंत्रित किए जाएं जिसमें ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प हो।
- iv. प्रत्येक आवेदक को अपना आधार तथा पहचान कार्ड नंबर और फोटोग्राफ देने होंगे।
- v. प्राप्त आवेदनों में से प्रशिक्षुओं के चयन के लिए पारदर्शी मानदंड निर्धारित किए जाएं।
- vi. चयन प्रक्रिया का परिणाम चयन न किए जाने के कारणों सहित वेबसाइट पर अपलोड किया जाएं।
- vii. चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण एवं निगरानी इस कार्यालय द्वारा की जाएं।

प्रश्न : गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सिद्धहस्तशिल्पियों हेतु क्या पात्रता मानदंड है? उत्तर : शिल्प गुरु पुरस्कृत, राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत, राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक, राज्य पुरस्कृत या अन्य सिद्धहस्तशिल्पी व्यक्ति पात्र है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (पहले कल्याण) स्कीम

प्रश्न : कल्याण स्कीम के बारे में।

उत्तर : यह स्कीम कारीगरों आदि के लिए कल्याण उपायों जैसे स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, ऋण सुविधाएं प्रदान करना, औजारों एवं उपकरणों की सप्लाई की ओर परिकल्पित हैं। इस योजना के निम्न मुख्य संघटक हैं-

- 1. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर जी एस एस बी वाई)
- 2. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)
- 3. दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता
- 4. क्रेडिट गारंटी योजना
- 5. ब्याज में छूट योजना
- 6. पहचान-पत्र जारी करना और डाटाबेस का निर्माण।

प्रश्न : सरकार द्वारा पेंशन के रूप में शिल्पियों को सहायता प्रदान करने में निर्धारित मानदंड एवं प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर : सरकार द्वारा पेंशन के रूप में शिल्पियों को सहायता प्रदान करने में निर्धारित मानदंड एवं प्रक्रिया का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :-

- आवेदक शिल्पी शिल्प गुरु पुरस्कृत, राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत, राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक या राज्य पुरस्कार पुरस्कृत होना चाहिए।
- 2. कारीगर की वार्षिक आय 50,000/- रुपए से कम होनी चाहिए।
- 3. आवेदक किसी अन्य स्रोत से समान वितीय सहायता का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।
- 4. आवेदक कारीगर आवेदन की तिथि पर 60 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग कारीगर के मामले में आयु में छूट दी जा सकती है।

प्रश्न : वर्ष 2015-16 के दौरान पेंशन प्राप्त करने वाले शिल्पियों की संख्या क्या है और वर्ष 2015-16 में इस सूची में शामिल होने वालों की संख्या कितनी है?

उत्तर : वर्ष 2015-16 के दौरान पेंशन प्राप्त करने वाले कारीगरों की कुल संख्या 254 हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान वितीय सहायता के लिए 24 नए सिद्धहस्तशिल्पियों का चयन किया गया है।

प्रश्न : क्या सरकार शिल्पियों के लिए पेंशन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है?

उत्तर : वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता 3,000/- रुपए प्रतिमाह थी जिसे वर्ष 2016-17 के दौरान बढ़ाकर 3,500/- रुपए कर दिया गया है।

प्रश्न : क्या मंत्रालय ने देश में हस्तशिल्प कारीगरों को पंजीकृत करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी पहल की है?

उत्तर : माननीय वस्त्र मंत्री ने दिनांक 07 अक्तूबर, 2016 को संत कबीर नगर से देश भर के कारीगरों को पहचान पत्र प्रदान करने के लिए 'पहचान' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। ये पहचान पत्र आधार से लिंक किए जाएंगे तािक लाभों का अनुलिपिकरण न हों। 31 मार्च, 2017 तक एकत्रित किए गए कुल पहचान पत्र आवेदन प्रपत्र 14,08,543 है।

प्रश्न : हस्तशिल्प कारीगरों के लिए पहचान कार्ड कैसे प्राप्त करें?

उत्तर : पहचान कार्ड प्राप्त करने के लिए हस्तिशिल्प कारीगरों को विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय के फील्ड कार्यालय में जाना होगा। कारीगर विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.handicrafts.nic.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त, कारीगरों को अधिक संख्या में नामांकित करने के लिए मुख्य शिल्प कलस्टरों में पहचान कैंप भी आयोजित किए जा रहे है।

प्रश्न : पहचान कार्ड के लाभ क्या है?

उत्तर : पहचान कार्ड के लाभ (हस्तशिल्प कारीगरों के लिए पहचान कार्ड) :-

- i. गुरु शिष्य परंपरा में भाग लेने में स्विधा।
- ii. शिल्प के उन्नत टूल किट प्राप्त करने में सुविधा।
- iii. घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय मेले, कार्यक्रम, डिजाइन कार्यशाला, सेमिनार आदि में भाग लेने में सुविधा।
- iv. म्फ्त जीवन बीमा या कक्षा IX से XII तक दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की पात्रता।
- v. इस कार्यालय की किसी स्कीम के तहत कोई अन्य सहायता।

प्रश्न : क्या कारीगरों के लाभ के लिए कोई बीमा योजनाएं है?

उत्तर : जी हां, विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय हस्तिशिल्प कारीगरों के लाभ के लिए दो बीमा योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है नामश: राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) स्वास्थ्य बीमा के लिए और आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) जीवन बीमा के लिए।

प्रश्न : हस्तशिल्प कारीगरों हेतु बीमा स्कीमों के लिए कैसे नामांकन करें?

उत्तर : कारीगरों को आवश्यक समर्थित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रपत्र जमा करने के द्वारा विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय के फील्ड कार्यालयों के माध्यम से नामांकित होना होगा। आवेदन प्रपत्र फील्ड कार्यालयों के साथ-साथ इस कार्यालय की वेबसाइट www.handicrafts.nic.in पर भी उपलब्ध है।

प्रश्न : आवश्यक समर्थित दस्तावेज़ कौन से हैं ?

उत्तर : निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक है :-

- पहचान कार्ड (कारीगर आईडी कार्ड)
- बैंक पासब्क की फोटोकोपी
- आधार कार्ड की प्रति।

प्रश्न : हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ब्याज सहायता योजना क्या है?

उत्तर : स्कीम का उद्देश्य शेड्यूल बैंकों के द्वारा ब्याज सहायता योजना आरंभ करने के माध्यम से हस्तिशिल्प कारीगरों के लिए ऋण पहुँच में सुविधा प्रदान करना है।

प्रश्न : ब्याज सहायता योजना के क्या लाभ है?

उत्तर : शेड्यूल बैंकों से लिए गए ऋण हेतु कारीगरों के लिए, वास्तविकता के आधार पर, 6% ब्याज सहायता, उपलब्ध है। तीन वर्षों की अविध के लिए 1 लाख रुपए तक के अधिकतम लाभ अन्मत है।

प्रश्न : हस्तशिल्प कारीगरों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है?

उत्तर : संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा थर्ड पार्टी गारंटी की समस्या और हस्तिशिल्प क्षेत्र में ऋण प्रवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस घटक को शुरू किया गया है। इस स्कीम को सीजीटीएसएमई के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

प्रश्न : क्रेडिट गारंटी स्कीम के लाभ क्या है?

उत्तर : इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए सीजीटीएसएमई का भुगतान सम्मिलित समग्र गारंटी फीस के रूप में निम्नानुसार किया जाता है :-

ऋण सुविधा	वार्षिक गारंटी फीस (% प्रति वर्ष)	
	पूर्वोत्तर में महिला, माइक्रो	अन्य
	एंटरप्राइसेस एवं यूनिटें	
5.00 लाख रुपए तक	0.75%	1.00%
5.00 लाख रुपए से ऊपर तथा	0.85%	1.00%
100.00 लाख रुपए तक		

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोद्योगिकी सहायता

इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में :- देश में वांछित प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिज़ाइन विकास, कच्चा माल बैंक तथा विपणन एवं संवर्धन सुविधाओं की निकटतम संभावित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कुशल व्यक्तियों के रिसोर्स पूल में सुधार लाने के लिए इस योजना का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने, उत्पाद गुणवता को बढ़ाने के साथ-साथ उत्पाद लागत को कम करने हेतु विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है।

योजना के संघटक निम्न प्रकार से हैं:-

- 1. शहरी हाट
- 2. लघु शहरी हाट
- 3. एम्पोरिया
- 4. शहरी क्षेत्रों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स
 - 4.1 महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स
 - 4.2 गैर-महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स
- 5. डिज़ाइन एवं शिल्प विदयालय
- 6. हस्तशिल्प संग्रहालय
- 7. डिज़ाइन बैंक
- 8. शिल्प आधारित संसाधन केन्द्र
- 9. सामान्य स्विधा केन्द्र
- 10. कच्चा माल डिपो
- 11. निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता
- 12. परीक्षण प्रयोगशालाएं
- 13. शिल्प ग्राम
- 14. एकीकृत हस्तशिल्प पार्क
- 15. कार्यालय भवनों का निर्माण और मौजूदा संस्थानों को पुन: नवीकृत करना, क्षेत्रीय डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों की पुनर्रचना, हस्तकला अकादमी की स्थापना, वसंत कुंज एवं ओखला में शिल्प एवं कार्यालय कॉम्पलैक्स का निर्माण और विभागीय स्तर पर सृजित किया जाने वाला अन्य कोई आधारभूत ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर)।
- 16. जम्मू एवं कश्मीर कारीगरों के लिए लूम।

प्रश्न : इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत व्यैक्तिक कारीगरों को लाभ।

उत्तर : कारीगरों को निम्न लाभ है :-

- उत्पादन के लिए नए डिजाइनों की सुलभ उपलब्धता।
- बाज़ार स्थान।
- कच्चे माल की उपलब्धता।
- डिजाइन एवं शिल्प विद्यालय।

प्रश्न : अभी तक कितने शहरी हाट स्वीकृत किए गए हैं और उनकी स्थिति क्या है?

उत्तर : कुल 37 शहरी हाट है जिनमें से 32 कार्यात्मक है। शहरी हाटों की सूची हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.handicrafts.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न : मम्मलापुरम (चेन्नई) में स्वीकृत शहरी हाट का ब्यौरा दें?

उत्तर : इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रोद्योगिकी विकास स्कीम के तहत 3.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर मम्मलापुरम (चेन्नई) में तमिलनाडु हेंडीक्राफ्ट डेवेलोपमेंट कॉर्पोरेशन लि., चेन्नई (तमिलनाडु) के पक्ष में एक शहरी हाट स्वीकृत किया गया है जिसमें वर्ष 2015-16 के दौरान 83.80 लाख रुपए निर्मुक्त किए जा चुके है।

प्रश्न : इलुरु (आंध्र प्रदेश) में स्वीकृत शहरी हाट का ब्यौरा दें?

उत्तर : इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रोद्योगिकी विकास स्कीम के तहत 3.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर **इलुरु (आंध्र** प्रदेश) में शिल्परामम आर्ट्स, क्राफ्ट एंड कल्चरल सोसाइटी, मधपुर, हैदराबाद के पक्ष में एक शहरी हाट स्वीकृत किया गया है जिसमें वर्ष 2015-16 के दौरान 78.60 लाख रुपए निर्मुक्त किए जा चुके है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - मेगा कलस्टर

मेगा कलस्टर स्कीम के बारे में : मेगा कलस्टर अप्रोच उन हस्तिशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचनात्मक एवं उत्पादन शृंखला को प्रविधित करने की एक मुहिम है जो असंगठित रहे हैं और जो अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र की संभावनाएं आधारभूत संरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निहित हैं। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए निच मार्किट सृजित करने हेतु मूल सिद्धांत के रूप में देशी उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण के अतिरिक्त नव परिवर्तित निर्माण सहित डिजाइनिंग की जानकारी भी अपेक्षित है। यह कार्यक्रम विपणन लिंकेजेस और उत्पाद विविधीकरण के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करता है।

प्रश्न : मेगा कलस्टर स्कीम का उद्देश्य क्या है?

उत्तर : मेगा कलस्टर स्कीम के निम्न उद्देश्य है :-

- कारीगरों की आय में वृद्धि करना।
- उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाना।
- कारीगरों के जीवन स्तर को बढ़ाना।

प्रश्न : मेगा कलस्टर में कौन से इंटरवेंशन हैं?

उत्तर : मेगा कलस्टर में निम्न इंटरवेंशन हैं :-

- सॉफ्ट इंटरवेंशन
 - i. तकनीकी प्रशिक्षण
 - ii. डिजाइन एवं उत्पाद विकास
 - iii. सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण जागरूकता कार्यशाला
 - iv. शिल्प विनिमय कार्यक्रम विपणन लिंकेजेस
- II. हार्ड इंटरवेंशन
 - i. सामान्य स्विधा केंद्र/साम्दायिक उत्पादन केंद्र
 - ii. कच्चा माल बैंक
 - iii. व्यापार स्विधा केंद्र
 - iv. स्रोत केंद्र

प्रश्न : अभी तक कितने मेगा कलस्टर स्वीकृत किए गए हैं और उनकी स्थिति क्या है?

उत्तर : मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली (उत्तर प्रदेश), जोधपुर, राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर और जम्मू एवं कश्मीर में 376.93 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा:269.50 करोड़ रुपए) की परियोजना लागत के साथ 6 मेगा कलस्टर हैं जिसमें 115.38 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान 40.03 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जा चुके है।

प्रश्न : "लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज़्म' के तहत क्या पहल की जा रही है?

उत्तर : . "तिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज़म" नामक कार्यक्रम के तहत मुख्य पर्यटन स्थलों को हस्तिशिल्प कलस्टरों के साथ लिंक किया जा रहा है और ऐसे कलस्टरों में सॉफ्ट इंटरवेंशन के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी प्रस्तावित है तािक ऐसे कलस्टरों में जागरूकता सृजित की जा सके और घरेलू बाजार में इनकी मांग बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान भी शुरू किए गए है। इस कार्यक्रम के तहत ओडिशा के रघुराजपुर को 10.00 करोड़ रुपए की स्वीकृत रािश के साथ समग्र विकास के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान 6.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए है।

प्रश्न : "लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज़्म' के लिए कौन से चिन्हित स्थान है?

उत्तर : विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय ने दो पर्यटन स्थलों अर्थात तिरुपित (आंध्र प्रदेश) तथा मथुरा (उत्तर प्रदेश) को चिन्हित कर प्रस्तावित किया है और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से अगस्त 2016 तक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक विकास योजना बना ली जाएगी। विशेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर ज़ोर देने हेतु निम्न के समावेश से मुख्य बल दिया जा रहा है :-

- i. विपणन गतिविधियां जिसमें
- ii. एम्पोरिया/रास्ते की (वे साइड) स्विधाएं शामिल है।
- iii. संबंधित राज्य के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से प्रचार एवं संवर्धनात्मक गतिविधियां।
- iv. हस्तशिल्प विकास गतिविधियां (डिजाइन सहायता, सामान्य सुविधा केंद्र एवं कच्चा माल बैंक आदि)।

प्रश्न : हस्तिशिल्प के एकीकृत विकास एवं संवर्धन के लिए विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा दें?

उत्तर : हस्तिशिल्प के एकीकृत विकास एवं संवर्धन के लिए 208.81 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर तिमलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार राज्यों के लिए विशेष परियोजना स्वीकृत की गई है जिसमें 74.79 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जा चुके है। इन परियोजनाओं के तहत डिजाइन इंटरवेंशन, कौशल विकास प्रशिक्षण (सॉफ्ट एवं हार्ड), टूलों का वितरण, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और विपणन प्रदर्शनियाँ शुरू की जाएंगी तािक कारीगरों की उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हो सके। इन परियोजनाओं के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 158805 हस्तिशिल्प कारीगर लाभान्वित होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - विपणन सहायता एवं सेवाएँ स्कीम

प्रश्न : विपणन सहायता एवं सेवाएँ स्कीम (एमएसएस) के बारे में।

उत्तर : विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना का प्रमुख उद्देश्य महानगरों/ राज्यों की राजधानियों/ पर्यटक एवं वाणिज्यक स्थलों/ अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए पात्र विभिन्न संगठनों को वितीय सहायता प्रदान करना है। इससे हस्तशिल्प कारीगरों/ देश के विभिन्न भागों के स्वावलंबन समूहों (एसएचजी) को सीधे विपणन मंच मुहैया होगा। इस योजना के तहत मुख्य संघटक निम्न प्रकार से हैं-

- 1. गांधी शिल्प बाजार / शिल्प बाजार
- 2. प्रदर्शनियाँ
- 3. अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में तैयार स्थान (बिल्टअप स्पेस) को किराये पर लेना।
- 4. राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला
- 5. शिल्प जागरूकता कार्यक्रम
- 6. अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं विदेशों में प्रदर्शनियों में भागीदारी
- 7. भारत के लोक शिल्प त्यौहार/स्टैंड अलोन शो/रोड शो
- 8. विदेशों में बाजार अध्ययन
- 9. अंतर्राष्ट्रीय शिल्प एक्स्पोज़र कार्यक्रम
- 10. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- 11. अनुपालन, सामाजिक एवं अन्य कल्याणकारी उपाय
- 12. भारत में क्रेता-विक्रेता बैठक
- 13. विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठक और भारत में रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक
- 14. विपणन कार्यशालाएं
- 15. विदेशों में आयोजित कार्यशालाएं/संगोष्ठियाँ/परिसंवाद/कार्यक्रम
- 16. मालगोदाम में माल रखने के लिए किराया
- 17. प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार
- 18. वेब मार्केटिंग

प्रश्न : कारीगरों के लिए इस स्कीम का क्या लाभ है?

उत्तर : कारीगरों के लिए इस स्कीम के निम्न लाभ है:-

- विपणन कार्यक्रमों जैसे शिल्प बाज़ार, प्रदर्शनियाँ, मेले आदि में स्टॉलों का आवंटन
- उपर्युक्त कार्यक्रमों में अधिकतम 2000/- रुपए तक कारीगरों को टीए/डीए
- माल ढुलाई भत्ता अधिकतम 1000/- रुपए तक
- अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने में कारीगरों को सहायता।

प्रश्न : चल रहे कार्यक्रमों के तहत लाभ कैसे लिए जाएँ?

उत्तर : वे विज्ञापन के प्रतिकूल संबंधित विपणन केन्द्रों में आवेदन कर सकते हैं। विपणन केन्द्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रश्न : स्टॉलों के आवंटन की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर : कारीगरों को स्टॉलों का आवंटन संबंधित फील्ड कार्यालयों द्वारा लॉटरी ड्रा के आधार पर होता है जिससे प्रस्तावित कार्यक्रमों में स्टॉलों का आवंटन किया जाता है। प्रश्न : सूरज कुंड मेला कब आयोजित होता है?

उत्तर : यह वार्षिक रूप से 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होता है।

प्रश्न : दिल्ली हाट में स्टॉल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : कारीगर अपने आवेदन फील्ड कार्यालयों में जमा कर सकते है और नियत कोटे के अनुसार लॉटरी के माध्यम से चयनित कारीगरों के आवेदन, 5000/- रुपए के लौटाए जाने वाली सुरक्षा राशि सहित 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 690/- रुपए (कर सहित) की लागत पर अग्रिम आवंटन हेत् मुख्यालय कार्यालय को भेजे जाते है।

प्रश्न : दिल्ली हाट में स्टॉल के लिए वे कितनी बार आवेदन कर सकते है?

उत्तर : दिल्ली हाट में स्टॉल के लिए वे छ: माह की अवधि के उपरांत आवेदन कर सकते है।

प्रश्न : भारतीय हस्तशिल्प के प्रमुख आयातक देश कौन से है और निर्यात की प्रमुख मदें क्या है?

उत्तर : भारतीय हस्तिशिल्प के प्रमुख आयातक देशों में यूएसए, यूके, जर्मनी, यूएई, फ्रांस और इटली आदि हैं। हस्तिशिल्प निर्यात की प्रमुख मदों में कालीन और अन्य फर्श बिछावन, कलात्मक धातुपात्र, हेंड प्रिंटेड टेक्सटाइल स्कार्फ, कशीदाकृत एवं क्रोशिए की वस्तुएँ, कलात्मक शालें और ज़री तथा ज़री की वस्तुएँ हैं।

प्रश्न : विश्व बाज़ार में भारतीय हस्तशिल्प का कितना हिस्सा है?

उत्तर : विश्व बाज़ार में भारतीय हस्तिशिल्प का हिस्सा 2% से भी कम है। विश्व बाज़ार में हस्तिनिर्मित कालीनों के निर्यात में 33% (विश्व में सबसे अधिक) हिस्सा है।

प्रश्न : भारतीय हस्तशिल्प निर्यात के साथ मुख्य प्रतिस्पर्धी देश कौन से हैं?

उत्तर : निम्नलिखित देश भारतीय हस्तशिल्प निर्यात में प्रतिस्पर्धी है:-

- i. चीन (सभी हस्तशिल्प उत्पाद और हाथ से गुंथे कालीन)।
- ii. ईरान एवं पाकिस्तान (हाथ से गुंथे कालीन)।
- iii. कोरिया (धातु पात्र)।
- iv. थाईलैंड (लकड़ी, बेंत एवं बांस)।
- v. फिलीपींस (बेंत एवं बांस तथा प्राकृतिक रेशे)।
- vi. इंडोनेशिया (बेंत एवं बांस)।
- vii. बांग्लादेश (बेंत एवं बांस)।
- viii. पाकिस्तान (लकड़ी एवं पत्थर शिल्प)।
- ix. मेक्सिको (लौह कलात्मक पात्र)।
- x. अफ्रीकी देश (वस्त्र एवं अन्य शिल्प)।

प्रश्न : हस्तिशिल्प का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर : हस्तिशिल्प के साथ-साथ हस्तिनिर्मित कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्निलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- विदेशों में प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी।
- विदेशों में थीमेटिक डिस्प्ले तथा प्रदर्शनियों में शिल्पों का सजीव प्रदर्शन।
- भारत तथा विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करना।
- विदेशों में सेमिनारों के माध्यम से भारतीय हस्तिशल्प की ब्रांड इमेज संवर्धन तथा प्रोद्योगिकी एवं पैकेजिंग के बारे में प्रचार के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम।
- उत्पाद विशिष्ट कार्यक्रमों के अलावा वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार मेले आयोजित करना।
- निर्यातकों के माध्यम से जागरूकता तथा विपणन सृजित करने के लिए नए डिजाइनों का प्रदर्शन।
- निर्यातक सदस्यों को वाणिज्य मंत्रालय की एमडीए स्कीम की सहायता के तहत भागीदारी प्रदान करना।
- व्यापार से संबंधित सहायता/सूचना प्रदान करना।

प्रश्न : पर्यटन स्थलों पर हस्तिशिल्प के संवर्धन हेतु क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव है?

उत्तर : " लिंकिंग टेक्सटाइल विद ट्रिज़म " नामक कार्यक्रम के तहत सरकार ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर शिल्प ग्रामों का विकास आरंभ किया है। सभी राज्य सरकारों से उनके राज्यों में पर्यटन स्थलों पर शिल्प कलस्टरों के विकास के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। ओडिशा के रघुराजपुर को मॉडल शिल्प ग्राम के रूप में समग्र विकास के लिए चुना गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 10.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जा चुके है।

प्रश्न : ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों के लिए डिजिटल विपणन स्थानों के लाभकर्ता कौन है?

उत्तर : भारतीय हस्तिशल्प उद्योग के तहत निम्निलिखित इकाइयों को डिजिटल विपणन स्थानों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है :-

- हस्तिशिल्प उद्यमी वे विश्व को अपने उत्पाद बहुत कम लागत पर प्रदर्शित करने का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- ii. प्राथमिक उत्पादक।
- iii. निर्माता एवं निर्यातक ऐसे बाज़ारों की क्षमता में वृद्धि का अवसर जहां निर्यात में वृद्धि हो सकती है।
- iv. आयातक/विदेशी खरीददार पोर्टल के माध्यम से उत्पादों की झलक पाने की सुविधा तथा निर्यातकों एवं निर्माताओं से सुलभता से ऑनलाइन संपर्क बनाना।
- v. कारीगर/शिल्पी/बुनकर यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा जहां वे अपना प्रतिभा एवं सृजनात्मकता का प्रदर्शन कर सकते है।
- vi. क्षेत्रीय कार्यालय।
- vii. निर्यात सुविधा केंद्र अर्थात 52 विपणन कलस्टर तथा कई अनेक।
- viii. खरीद एजेंट को सीधे कारीगर से संवाद करने तथा व्यापार करने का अवसर प्राप्त होगा।
- ix. अनुसंधान विश्लेषक।
- x. राज्य सरकार एम्पोरिया।
- xi. अन्य संगठन/व्यक्ति जिनका समान उद्देश्य हो।
- xii. स्वावलंबन समूह।

प्रश्न : ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों के लिए डिजिटल विपणन स्थानों पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों के लिए डिजिटल विपणन स्थानों पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नान्सार है:-

i. ईपीसीएच के ऑनलाइन ई-मार्केटिंग स्टोर का डिजाइन - ऑनलाइन स्टोर की वायरफ्रेम बनाने से शुरू होने वाले स्टोर की डिज़ाइन लेआउट के लिए उत्पादों का आभासी प्रदर्शन पोर्टल होना आवश्यक है।

- ii. ईपीसीएच के ऑनलाइन ई-मार्केटिंग स्टोर की स्थापना उत्पादों को सदस्यों, कारीगरों, प्राथिमक उत्पादकों
 आदि के वेबपेजों के सृजन के साथ उचित फोटोग्राफी और देखने के तरीकों के साथ ऑनलाइन पोर्टल में रखा जाता है।
- iii. ईपीसीएच के ऑनलाइन ई-मार्केटिंग स्टोर का श्भारंभ।
- iv. सदस्य निर्यातकों तथा प्राथमिक उत्पादकों को उनके ऑनलाइन उत्पाद केटालॉग के प्रबंधन में सहायता हेतु प्रशिक्षण सत्र सभी प्राथमिक उत्पादकों/शिल्पियों/निर्यातक सदस्यों आदि को ऑनलाइन विपणन स्थान के कार्य तथा लाभों के बारे में सेमिनार एवं वेबिनार्स के माध्यम से बताने हेतु प्रशिक्षण सत्र प्रदान करना।
- ए. इसे व्यापार सुविधा केन्द्रों के साथ लिंक करना ई-मार्केटिंग मंच को विभिन्न व्यापार सुविधा केन्द्रों के साथ लिंक करने से प्राथमिक उत्पादकों तथा शिल्पियों को अपना कौशल प्रदर्शित करने तथा वांछित सूचना प्राप्त करने के ऐसे अवसरों तक पहुँच बनाने में सुविधा होगी।

प्रश्न : इंडिया हेंडमेड बाज़ार क्या है?

उत्तर : वास्तविक हस्तिशिल्प कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन पहुँच सुविधा प्रदान करने और उन्हें हस्तिशिल्प उत्पादकों के बारे में अद्यतित सूचना देने साथ ही रिटेल ग्रहकों, ई-कॉमर्स प्रयोगकर्ताओं, होलसेलर्स और उत्पादकों को उनके उत्पादों के बारे सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रोड्यूसर पोर्टल (इंडिया हेंडमेड बाज़ार) बनाया गया है और उक्त को नॉर्थ ईस्ट इनवेस्टमेंट सिम्मट के दौरान शिलांग में दिनांक 29/01/2017 को शुरू किया जाएगा। यह पोर्टल कारीगरों के साथ-साथ हस्तिशिल्प कलाकृतियों के खरीददारों के लिए भी अत्यंत लाभकारी होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास योजना के बारे में :- अनुसंधान एवं विकास योजना की शुरुआत हस्तिशिल्प क्षेत्र की समस्याओं तथा विशिष्ट पहलुओं के गहन विश्लेषण और महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी आदान सृजित किया जा सके तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। 12 वी योजना के दौरान निम्न क्रियाकलाप किये जाएंगे:

- i. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
- ii. लेबिलंग/ प्रमाणीकरण को प्रेरित करने के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों
 को तैयार करने हेत् वितीय सहायता।
- iii. क्षेत्र/ सेगमेंट की चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को सक्षम बनाने के लिए लुप्तप्राय शिल्पों, डिज़ाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन को शामिल करते हुए शिल्पों की सुरक्षा से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिज़म) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता ।
- iv. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना ।
- v. जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन पर आवश्यक अन्वर्तन।
- vi. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित बार कोडिंग और जीएसआई ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।
- vii. भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं /मृद्दों को उठाने के लिए वित्तीय सहायता।
- viii. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट प्रकृति के मृद्दों पर कार्यशालाओं /सेमिनारों का आयोजन।

प्रश्न : अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत व्यक्तिक कारीगरों को क्या लाभ है?

उत्तर : अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत व्यक्तिक कारीगरों को निम्न लाभ है:-

- विशिष्ट शिल्प के कारीगरों द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाने हेत् कार्यशाला/सेमिनार।
- कारीगरों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर सर्वेक्षण/अध्ययन।
- जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) अधिनियम के तहत शिल्पों का पंजीकरण।
- विशिष्ट शिल्प के संवर्धन के लिए ब्रांड निर्माण।
- कार्यशाला/सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रति माह 55,000/- रुपए तक प्रतिभागियों को टीए/डीए।
- कारीगरों को एक माह में 25 दिनों के लिए 300/- रुपए प्रतिदिन तक वेतन प्रतिपूर्ति।

प्रश्न : हस्तशिल्प की परिभाषा क्या है?

उत्तर: हस्तशिल्प की परिभाषा -

• " मुख्य रूप से हाथ से बनी कोई भी मद...... दर्शनीय आकर्षण से सुशोभित......... जो अलंकरण या जड़ाऊ कार्य या समान कार्य के साथ स्वभाविक कलात्मक प्रकृति की होना चाहिए, न कि केवल दिखावा"।

प्रश्न : जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है?

उत्तर : जियोग्राफिकल इंडिकेशन :

यह एक इंडिकेशन है।

- यह एक निश्चित जियोग्राफिकल क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है।
- यह कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है।
- निर्मित वस्त्ओं को उसी क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित किया जाना चाहिए।
- इसमें कुछ विशिष्ट गुणवत्ता या महत्व या अन्य लक्षण होने चाहिए।

प्रश्न : जियोग्राफिकल इंडिकेशन के पंजीकरण के क्या लाभ है?

उत्तर: जियोग्राफिकल इंडिकेशन के पंजीकरण के लाभ:

- यह भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन को विधिक स्रक्षा प्रदान करते है।
- यह दूसरों के द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अनाधिकृत प्रयोग को रोकता है।
- यह भारतीय जियोग्राफिकल इंडिकेशन को विधिक सुरक्षा प्रदान करता है जिससे निर्यात में वृद्धि होती है।
- यह जियोग्राफिकल इंडिकेशन में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक संपन्नता को संवर्धित करता है।

प्रश्न : जियोग्राफिकल इंडिकेशन के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर : कानून के द्वारा या इसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठनों या प्राधिकरण का कोई भी समूह आवेदन कर सकता है:-

- आवेदक को उत्पादकों की रुचि दिखाना आवश्यक है।
- आवेदन निर्धारित प्रोफोर्मे में लिखित में देना आवश्यक है।
- आवेदन निर्धारित फीस के साथ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाना चाहिए।

प्रश्न : पंजीकृत जियोग्राफिकल इंडिकेशन को कौन प्रयोग कर सकता है?

उत्तर : एक अधिकृत प्रयोगकर्ता को उन वस्तुओं के संबंध में जिसके लिए यह पंजीकृत है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के प्रयोग का वैधानिक अधिकार है।

प्रश्न : जियोग्राफिकल इंडिकेशन का पंजीकरण कब तक वैध होता है?

उत्तर : जियोग्राफिकल इंडिकेशन का पंजीकरण 10 वर्षों तक वैध होता है।

प्रश्न : कृपया जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकृत शिल्पों की सूची प्रदान करें।

उत्तर : जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकृत शिल्पों की सूची ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स अर्थात http://www.lipindia.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध है।

प्रश्न : लुप्तप्राय शिल्पों की परिभाषा।

उत्तर : निफ्ट, नई दिल्ली के माध्यम से संचालित अध्ययन के उपरांत परिभाषा प्राप्त ह्ई।

- 1. शिल्प पर काम करने वालों की संख्या 25 से कम हो।
- 2. शिल्पियों ने शिल्प कार्य की अलाभकारी स्थिति के कारण इस शिल्प को छोड़कर दूसरी शिल्प गतिविधि को अपना लिया हो.... यदि पिछले तीन वर्षों में इस विशिष्ट शिल्प पर व्यतीत समय में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई हो।
- 3. परिवार की अगली पीढ़ी इस शिल्प को न सीख रही हो और परिवार के बाहर से नए व्यक्तियों की भर्ती न हो। नई भर्ती का प्रतिशत 40% से कम हो।

प्रश्न : कृपया लुप्तप्राय शिल्पों की सूची प्रदान करें। उत्तर : ल्प्तप्राय शिल्पों की सूची निम्न प्रकार से हैं :-

कटक, ओडिशा का सींग शिल्प
सोनपुर, ओडिशा का गंजीफा कार्ड
बारगढ़, ओडिशा के लकड़ी के खिलौने
बौध, ओडिशा का तांबे का सांप
श्रीनगर, कश्मीर का नमदा
श्रीनगर, कश्मीर की पिंजराकरी
श्रीनगर, कश्मीर की कुंभकारी
श्रीनगर, कश्मीर के चाँदी के पात्र
श्रीनगर, कश्मीर की टेपेस्टरी
श्रीनगर, कश्मीर का वागू
चंबा, हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल

Frequently Asked Questions- Common For All schemes

Question: What is the role of Handicrafts in Rural and Urban India.

Ans. The Handicrafts Sector plays a significant & important role in the country's economy. It provides employment to a vast segment of craftsperson in rural & semi urban areas and generates substantial foreign exchange for the country, while preserving its cultural heritage. Handicrafts has great potential, as it holds the key for sustaining not only the existing set of millions of artisans spread over length and breadth of the country, but also for the increasingly large number of new entrants in the crafts activity. Presently, handicrafts contribute substantially to employment generation and exports.

Questions: What are the different schemes for promotion and welfare of Handicraft artisans?

The Ministry implements 8 schemes for promotion of handicrafts.

- 1. **Dastkaar Shashktikaran Yojana (AHVY)** -For development of clusters.
- 2. **Design and Technology Upgradation Scheme-** For design and tools.
- 3. **Human Resource Development Scheme** for skill upgradation.
- 4. **Direct Benefit to Artisans Scheme** for providing health and life insurance and credit facilities.
- 5. **Infrastructure & Technology Development** for financial assistance to infrastructure projects such as Urban Haat etc.
- **6. MegaCluster-** The programme supports the Upgradation of infrastructural facilities coupled with market linkages and product diversification.
- 7. **Marketing Support & Services Scheme** for providing financial assistance for domestic and international marketing.
- 8. **Research & Development Scheme-** for undertaking research studies.
- 9. In addition of above schemes, **Carpet Training Scheme** and Special project for **Other Crafts in J&K and Hastkala Academy**.

Question: Are the schemes of Office of the Development Commissioner (Handicrafts) are implemented on the basis of State-wise quota.

Ans. No. the schemes implemented for development of handicrafts sector are not state, specific but need based irrespective of any state quota.

Question: How to avail benefits under any scheme.

Ans. An individual artisans may obtain artisan ID card(also called Pehchan Card) to avail any benefits. After obtaining ID card he/she may apply for benefits as per need through HM&SEC(Handicrafts Marketing and Service Extension Centres). The Addresses of Field & Regional Offices are available on our official website:- www.handicrats.nic.in

Question: How skill development training is provided to the handicraft artisans.

Ans. Skill development needs of the artisans are addressed through two schemes of this office namely Human Resource Development(HRD) and Design & technical Development Scheme. In addition, under Cluster Scheme i.e. Ambedkar Hastship Vikas Yojana, skill development and design upgradation training are also provided for holistic upliftment of artisans.

Question: What are approaches to be adopted to put the handicraft sector on high growth trajectory.

Ans. The following approaches need to be adopted to put the handicraft sector on high growth trajectory as well as preserving existing cultural heritage.

- a. Promoting premium handicrafts product for the niche market.
- b. Expansion of production base for utility based, life styles and mass production of handicrafts products.
- c. Preservation and protection of heritage /endangered crafts

Question What announcements have been made by HMoT during International Women's Day organised on 8^{th} March 2017

Ans. On the occasion of International Women's day Ministry of Textiles organized a conference of women artisans/weavers at Vigyan Bhawan, New Delhi on 8th March, 2017 with the following initiatives:

- ✓ A new category awards 'Kamaladevi Chattopadhya National Award' especially for women handloom weavers and handicrafts artisans was announced.
- ✓ Buniyaad Reeling Machines were distributed to woman silk reelers to put an end to unhygienic and inhuman practice of the thigh reeling.
- ✓ 'Handloom Weaver MUDRA Portal' was launched which will enable quick transfer of margin money and interest subvention amount.
- ✓ Three Scheduled Artisans Cluster Projects and two Scheduled Tribe Artisans Cluster Projects were taken up mainly for women beneficiaries in Madhubani Painting, Embroidery craft and Embroidery with mirror work craft.
- ✓ Memorandums of Undertaking was signed on the occasion, between the Development Commissioner (Handlooms) and Development Commissioner (Handlorafts), Ministry of Textiles and National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) under the Ministry of Social Justice and Empowerment, with the main objective of increasing earnings of handloom weavers artisans and artisans belonging to backward classes, who work in the handloom and handicrafts sectors.

Question What are the objectives of Hastkala Academy?

Ans. In terms of the recommendations of Working Group on 12th Five Year Plan for handicrafts sector, a Hastkala Academy is proposed to be set up with the objective to support, preservation, revival, and documenting of the handicraft/handloom under Public Private Partnership (PPP) mode with the following aims and objectives:

- ✓ To encourage and promote study, research and awareness of the cultural traditions, histories and practices in the fields of traditional arts, handicrafts & handloom sector.
- ✓ To support preservation, revival, archiving and documentation of heritage handloom and handicrafts and traditional arts, which may be under threat of extinction.
- ✓ To encourage the establishment of small art and craft museums presenting artistic and cultural knowledge along-with artifacts in different regions of the country.
- ✓ To promote cooperation and collaboration among artists, crafts persons and their associations and assist the development of such associations.

Question Give details about Portal for MIS on NGOs receiving funds in Handicrafts Sector?

Ans. In addition to registration of NGOs on NITI Aayog Portal, Office of the DC(Handicrafts) has operationalized a comprehensive portal from January 15, 2017 for willing NGOs to apply for empanelment online and if successfully empanelled, to apply for projects under various schemes online. The portal will facilitate user friendly processing of applications and will also enable comprehensive MIS on NGOs participating in various schemes of Office of the DC(Handicrafts). It will ensure transparent and efficient implication of schemes.

Question: Efforts made for the development of traditional handicrafts industry?

Answer: Office of the Development Commissioner [Handicrafts] implements various schemes for promotion and development of handicrafts sector on all India basis under one umbrella scheme namely "National Handicrafts Development Programme [NHDP]" to emphasize integrated approach for development of

handicraft cluster in a holistic manner. The NHDP has following components:-

A. Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana (AHVY)

- (i) Dastkar Shashktikaran Yojana.
- (ii) Design & Technology Upgradation.
- (iii) Human Resource Development Scheme (HRD)
- (iv) Direct Benefit to Artisans.
- (v) Infrastructure & Technology Support.

B. Mega Cluster

- II. Marketing Support & services (MSS)
- III. Research and Development (R&D)

FAQ ON CARPET SCHEME

1. What is Carpet Weaving Training Scheme?

It is a departmental training scheme (non-plan) confined to J&K only in which Carpet Weaving Training Centres are set-up to train the potential artisans.

2. How many centres and service centres are there under the scheme?

There are 175 Carpet Weaving Training Centres, working under the supervision of Carpet Weaving Training Service Centres located at Jammu, Anantnag, Baramula, Pulawam, Leh and Field Administrative Cell Srinagar.

3. What are objectives of the scheme?

- To increase the production base in Carpet Weaving in order to meet the growing demand for hand-knotted carpet in the international market
- To enhance employment opportunity of Artisans.

4. What is Advanced Training Centre?

These are training centres focused at imparting advanced skill in carpet weaving. Only skilled trainees are selected in these centres.

5. What is primary training centre?

These are centres targeted to train new entrants who don't have any previous knowledge /skill of carpet weaving.

6. What are incentives given to trainees?

In Advanced training Centres trainees are given Rs.2000/- per month as stipend. In case of Primary Training Centres stipend is Rs.1500/- per month.

7. What is the method of disbursement of stipend?

Stipend is disbursed directly to the Bank/Post Office account of concerned trainees

8. What is method of establishment of training Centres?

As per practice village headman/ Village communities submits request for establishment of Training Centres to the nearest Service Centre. The Assistant Director of service Centres conducts a survey in all the villages and furnishes his survey report along with findings and recommendations. As per recommendation and validation by regional office new centre is established.

9. What is process of selection of trainees?

In the selected village and nearby areas trainees are requested to appear in an assessment test in which Assistant Director along with support of Instructor/Assistant Instructor, CTOs prepares a merit list as per skill level displayed during the assessment. Trainees are provisionally selected as per their merit.

10. Who provides tool and raw material?

Tools and raw materials are supplied by the department.

11. What happens to carpet manufactured during the training programme?

The manufactured carpets are sold at approved rates in the open market and amount realized is deposited into Govt. Treasury.

12. How many training centres are running in the part of country other than J&K?

Under this departmental training scheme there is no any Carpet Weaving Training Centre currently running in any part of country other than J&K.

FAQ- AHVY (DASTKAR SHASHKTIKARAN YOJANA) SCHEME

Question: What is Baba Saheb Ambedkar Vikas Hastshilp Yojana?

Answer: Baba Sahab Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana (AHVY) is a cluster development oriented project with Indian handicrafts as focal area launched by the Government of India through its Textile Ministry during 2001-2002.

This initiative of the government of India is aimed at promoting Indian handicrafts through the development of artisan clusters as professionally managed and self-reliant community enterprises.

The AHVY scheme implemented through the office of the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi in association with partner organizations such as NGO's voluntary organization's craft development councils etc. across the country has several components which are as follows: -

- 1. Social Interventions
- 2. Technological interventions
- 3. Marketing interventions
- 4. Financial interventions
- 5. Cluster specific infrastructure related interventions

The basic purpose of the scheme is aimed at improving the handicraft skills of the artisans, to equip them with the latest designs, to train them to use small tools that will assist them to improve their crafts work, to equip them to face fierce competition in the market, to enable them to use raw materials and natural resources to their benefit, and to help the traditional artisans all with the aim of helping the craftsperson's sustain their activities economically.

Question: What is the main objective of scheme?

Mobilization of the beneficiaries shall be undertaken in the clusters which needs to Answer: be taken up for development. The Geographical identity of such clusters should be clearly mentioned and limited to a village in Rural Areas or a ward in the Municipal areas. In special cases a cluster may contain adjoining villages within a span or diameter of three kilometers. This activity shall include mobilizing the artisans into SHGs, thrift and credit, training of SHGs on various aspects of forming and running the community business enterprise. With introduction of economic reforms through liberalization, privatization and globalization, India has entered into a new era of economic development and therefore, Community Empowerment programme for handicrafts sector/ cooperative/ SHGs is a must to empower the artisans by making them active entrepreneurs cum-primary stake holders of development and bringing them to a visible platform which will help enhance their operational efficiency and competitiveness to face the new challenges and make them viable and self-supporting economic entity. While undertaking mobilization, care should be taken to leverage upon the SHGs already formed under various programmes being implemented by Government. Only where it is not feasible to do so, new SHGs, federation etc., should be formed.

Question: How to get information of ongoing clusters.

Ans. Information could be provided by our concerned field offices or regional offices of running cluster under their residing area/ district / block . the said information is available on our official website i.e. www.handicrafts.nic.in

Question: Which are important handicraft producing clusters in the country?

Ans. The important handicrafts producing clusters in the country for achieving higher exports of handicraft are as under:

- Moradabad (UP) for Art metalwares and imitation jewellery.
- Shaharanpur (UP) for Wooden Crafts and Wrought Iron handicrafts.
- Jodhpur (Rajasthan) for Wooden, Wrought Iron and Sea Shell handicrafts.

- Narsapur (A.P.) for Lace and Lace goods.
- Srinagar (J&K) for carpets.
- Bhadohi, Mirzapur (UP) for carpets.
- Jaipur (Rajasthan) for carpets.

Question: Who are the eligible organizations for applying for the project under AHVY?

Answer: Central/State Handloom and Handicrafts Development Corporations and other Govt. Corporations/agencies promoted by State Government or organization promoted by Financial Institutions/banks and NIFT, NID, University Department, DRDA, NISIET, Artisans Federation, Cooperative Societies, Apex Cooperative Societies, Multi-State Co-Operative Societies, Trusts, EDIs and other similar bodies, and those Non-Governmental Organisations (NGOs) which are Empanelled with DC(H) Office.

Question: Procedure for selection of fresh projects?

Answer: The NGO may submit their project proposal though online on the official website i.e. <u>www.handicrafts.nic.in</u> in prescribed format for the development of cluster artisans.

On the basis of documentary evidence and project viability and Categorization of NGOs etc., the respective AD(H) will recommend through online to concerned Regional Offices and Hd. Qr. Office, New Delhi for consideration. At the time of recommendation, the respective AD(H)/RDs level may check their Empanelment under DC(H) office and NITI Aayog registration for consideration in Hd. Qr. level in case of NGOs / Trusts.

FAQ-DESIGN SCHEME

Question: About design scheme.

Ans. The scheme aims to upgrade artisan's skills through development of innovative designs and prototypes products for overseas market, revival of endangered (languishing earlier) crafts and preservation of heritage etc. The scheme has the following components:

- 1. Design and Technology Development Workshop(DDW)
- 2. Integrated Design & Technology Development Project(IDP)
- 3. Assistance to exporter and entrepreneur for design prototype
- 4. Commercial market intelligence by way of design, trend and technical colour forecast. Certain changes like hike in the wage compensation, duration of the programme etc. have been made in this scheme so as to suit the present day requirements.
- 5. Financial Assistance for supply of tools, safety equipments, looms, furnace etc.
- 6. Shilp Guru Award, National Award & National Merit Certificate(NMC) for outstanding contribution in Handicrafts Sector.

Question: Benefits to individual artisans under design scheme Ans.

- Training imparted to artisans for upgrading their technical skills and betterment of product design.
- Wage compensation to Artisans to the tune of Rs. 300 per day for 25 days in one months.
- Salary to master craft persons to the tune of Rs 30,000 per month.
- Distribution of tool kits to artisans.
- Recognition to master craftspersons through Shilp Guru Award, National Award and NMC.
- Artisan will able to trained and get benefited by new and innovative designs as per the taste of market for production of items.
- Provision of digital designs to the artisans for mass productions.

Question: How to get information of ongoing DDW/IDP.

Ans. Information could be provided by concerned field offices or regional offices of ongoing DDW/IDP in district or block under their jurisdictions.

Question: How to get information of new designs as per latest trends for production.

Ans. Information could be provided by our concerned field offices, design centres or design banks/NCDPD/EPCH/MHSC/IICT etc.

Question How many Regional Design and Technical Development Centres and where they are located?

Ans. There are five Regional Design and Technical Development Centres located at New Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata and Guwahati respectively.

Question What are the objectives of these Regional Design and Technical Development Centres?

Ans: The objective of these design centre is to render design guidance to facilitate product development and diversification to suit the changing market trends in their regions. While designing the products, stress is laid on the design being simple, less laborious and functioning and modern technique is used.

Question What are the activities being under taken by them?

Ans: These centre conduct Design workshops, Integrated design projects, Craft awareness programmes, Development of improved tools kits in different crafts under their jurisdiction and conduct research work.

Question: Is any recognition given to outstanding crafts persons in the handicrafts sector? **Ans:** Yes, Shilp Guru Award, National Award & National Merit Certificate(NMC) is awarded to a craftsperson only once in a lifetime to encourage master craftsperson's to maintain excellence in craftsmanship and keeping alive our old tradition.

Question What kind of assistance and funding pattern is provided to awardees? **Ans:** Following kind of assistance and funding pattern provided to awardees

- Gold Medal, Rs. 2 lakhs and Tamra Patra for Shilp Guru.
- Rs. 1 lakh and Tamra Patra for National Awardee
- Rs. 75,000 for National Merit certificates holder.

FAQ- Human Resource Development

Question: About HRD scheme and its components.

Ans. The Human Resource Development (HRD) Scheme has been formulated to provide qualified and trained workforce to the handicraft sector. This workforce shall contribute to a strong production base leading to production of high quality products that cater to present day market requirement. This scheme also aims to create human capital for the sector in terms of trained cadre of designers for the handicrafts by providing relevant inputs through its components. There is also a provision made for the imparting soft skill training necessary for the artisans to enable them to undertake their own business successfully.

- 1. Training through Established Institutions.
- 2. Handicrafts Training Program
- 3. Training through Guru Shishya Parampara
- 4. Training the trainers
- 5. Design Mentorship and apprentice program

Question: Benefits to individual artisans under design scheme Ans.

- Training imparted to artisans for upgrading their skills for better employability.
- Salary to master craft persons to the tune of Rs 25,000 to 30,000 per month.
- Fees to national designer to the tune of Rs 30,000 per month.
- Wage compensation to Artisans to the tune of Rs. 300 per day for 24 days in one months.
- Wage compensation to Artisans to the tune of Rs. 400 per day for 24 days in one months under the component of Training the Trainer.
- TA to the tune of Rs. 1500 per month.
- Guru Shishya Pramapara for transfering craft skill from one generation to another.
- Tool-Kit of Rs. 2,000/- is provided to trainers in Guru Shishva Prampara.

Question: How to get information of ongoing training programme in my area.

Ans. Information could be provided by our concerned field offices or regional offices for ongoing training programme under your district or block.

Question: What is Guru Shishya Parampara Training Scheme?

Ans: This components provide for handing over/transfer of traditional knowledge/skills from master craftpersons to the new generation ensuring the sustenance of the craft. In this component semiskilled/unskilled artisans are provided training through meritorious craft persons.

Question: What are latest modification in Guru Shishya Parampara Training. Ans.

- i. Guru should have role only as master trainer. He/she should not have any role in selection of trainees.
- ii. The selection of 'Shishya'/trainees is the responsibility of Assistant Director In-charge of Marketing & service Extension centre in association with Regional Director of the concerned zone as well as any state Government official in a transparent manner.
- iii. Applications for selection of trainees should be invited in a transparent and open manner including an option for online application.
- iv. Every applicant should give his Aadhar and Pehchan Identity card number and Photographs.

- v. Transparent criteria should be laid down for selection of trainees out of the applications received.
- vi. Result of the selection process should be uploaded on website along with the reasons for non-selection.
- vii. The selection process should be supervised and monitored by this office.

Question: What is eligibility criteria for master craft persons for imparting training under Guru Shishya Parampara.

Ans. Shilp Guru Awardee, National awardee, National Merit Certificate holder, State Awardee or other mastercraft persons are eligible.

FAQ- Direct Benefit to Artisan (Welfare earlier) Scheme

Question: About welfare scheme.

Ans. The scheme envisages welfare measures like Health and Life insurance, extending credit facilities, supply of tools and equipment to the artisans etc. The major components are detailed below:

- 1. Rajiv Gandhi Shilpi Swasthya Bima Yojana (RGSSBY)
- 2. Bima Yojana for Handicrafts Artisans (Aam Admi Bima Yojana (AABY)).
- 3. Support to artisans in indigent circumstances
- 4. Credit Guarantee Scheme
- 5. Interest Subvention Scheme
- 6. Issue of Identity Cards and creation of data-base

Question: The details of criteria and procedure laid down by the Government to provide support to the craftsperson in the form of pension;

Ans. The criterion laid down by the Government to provide support to the craftsperson in the form of pension is enumerated hereunder:-

- 1. The applicant craftsperson should be the recipient of Shilp Guru Award, National Award, National Merit Certificate or State Award.
- 2. The Annual Income of the Artisan should be less than Rs. 50,000/-
- 3. The applicant should not be a recipient of similar financial assistance from any other source.
- 4. The applicant artisans not be less than 60 years of age on the date of application. Age may be relaxed in case of artisan with disabilities.

Question: The number of craftsperson who received pension during the year 2015-16 and the number of new additions to the list in 2015-16;

Ans. Total 254 Artisans have received pension during the year 2015-16. 24 new mastercrafts persons were selected for the financial assistance during 2015-16.

Question: Whether the Government is contemplating to raise the pension for the craftsperson.

Ans. The Financial Assistance provided during the year 2015-16 was Rs. 3,000/- per month which has been raised to Rs. 3,500/- during the year 2016-17.

Question: Whether the Ministry has taken any nationwide initiative to register handicrafts artisans in the country.

Ans. HMOT has launched Nation–wide Artisans I-Card campaign named '**Pehchan**' from Sant Kabir Nagar on 7th October, 2016 to provide identity cards to handicrafts artisans from all over the country. These I/Cards will be Aadhar linked to avoid duplications of benefits. Total ID cards forms collected as on 31st March 2017 are 14,08,543.

Question: How to get Pehchan Card for Handicrafts artisans.

Ans. The handicrafts artisans needs to visit the field office of DC(Handicrafts) to get the pehchan Card. The artisans can also apply online through the official website of Office of DC(Handicrafts) i.e. www.handicrafts.nic.in. In addition to this the Pehchan camps are also being organized in major crafts clusters to enrol maximum number of artisans.

Question: What are the benefits of Pehchan cards.

Ans. Benefits of Pehchan Card (Identity Card for Handicraft Artisans)

- i. Easy to participate in Guru Shishya Parampara.
- ii. Easy to avail Improved Tool Kits of the craft.
- iii. Easy to participate in any domestic and International Fair, Event, Design workshop, Seminar etc.
- iv. Eligible for free life insurance and stipend for their two children from Class-IX to Class-XII.
- v. Seeking any other assistance under any scheme of this office.

Question: Are there any insurance schemes available for benefits of artisans?

Ans: Yes, office of Development Commissioner(Handicrafts) implements two insurance schemes for benefits of handicrafts artisans namely Rajiv Gandhi Shilpi Swasthya Bima Yojana (RGSSBY) for health insurance and Aam Admi Bima Yojana (AABY) for life insurance.

Question: How to get enroll for the insurance scheme for handicrafts artisans.

Ans: The artisans have to enroll through the field offices of DC(Handicrafts) by submitting the application form along with the supporting documents required. Application form is available with field offices as well as available on the website of this office i.e. www.handicrafts.gov.in.

Question: What are the supporting documents required? Ans: Following documents are required:

- Pehchaan Card(Artisan I/Card)
- Photocopy of Bank Passbook
- Copy of Aadhaar Card

Question: What is the interest subvention scheme for handicrafts artisans?

Ans: The scheme is intended to facilitate credit access for handicraft artisans through introducing interest subvention scheme through schedule banks.

Question: What are the benefits of the interest subvention scheme?

Ans: 6% interest subvention, subject to actual, shall be available for artisans for loan taken from scheduled banks. Maximum benefits of Rs.1 lakhs for a period of three years is admissible.

Question: What is the credit guarantee scheme for handicrafts artisans?

Ans: The component is envisaged to alleviate the problem of collateral security or 3rd party guarantee and remove impediments to flow of credit to handicrafts sector. This scheme is implemented through CGTMSE.

Question: What are the benefits of credit guarantee scheme?

Ans:To avail this facility CGTMSE is paid composite all-in-guarantee Fees as under:

Credit Facility	Annual Guarantee Fee (% p.a.)	
	Women, Micro Enterprises	Others
	and units in NER	
Upto Rs.5.00 lakhs	0.75 %	1.00%
Above Rs.5.00 lakhs and upto Rs. 100.00 Lakhs	0.85%	1.00%

FAQ - Infrastructure and Technology Support.

About Infrastructure Scheme: To ensure availability required technology, product diversification, design development, raw material banks, and marketing & promotion facilities in nearest vicinity possible and improve the resource pool of skilled persons in the country this scheme aims at the development of world class infrastructure in the country to support handicraft production, and enhance the product quality and cost to enable it to compete in the world market.

Scheme components

- 1. Urban Haat
- 2. Mini Urban Haat
- 3. Emporia
- 4. Marketing and Sourcing Hubs in Urban areas
- 5. Design and Craft Schools
- 6. Handicrafts Museum
- 7. Design Banks
- 8. Craft based resource centre
- 9. Common Facility Centre
- 10. Raw Material Depot
- 11. Technology Upgradation Assistance to exporters/entrepreneurs
- 12. Testing Laboratories
- 13. Crafts Village
- 14. Integrated Handicrafts Park
- 15. Construction of office buildings & revitalizing existing institutions, restructuring of regional design and technical centres, setting up of Hastkala Academy, construction of craft and office complexes at Vasant Kunj and Okhla and any other infrastructure to be created at departmental level.
- 16. Looms for J.K. Artisans

Question: Benefits to individual artisans under Infrastructure scheme.

Ans: Artisans get benefits such as:

- Ease availability of new designs for production.
- Market Place.
- Ease availability of raw material
- Design and craft school.

Question: How many urban haats have sanctioned so far and status thereof.

Ans: There total 37 urban haats and out it 32 are functional. List of urban haat is available on our official website.

Question: Give details of Urban Haat sanctioned at Mammallapuram (Chennai)?

Ans. Under Infrastructure and Technology Development Scheme an Urban Haat at **Mammallapuram (Chennai)** has been sanctioned at a project cost of Rs. 3.00 crores with release of Rs. 83.80 lakhs during 2015-16 in favour of Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Ltd., Chennai (TN).

Question: Give details of Urban Haat sanctioned at Eluru (Andhra Pradesh)?

Ans Under Infrastructure and Technology Development Scheme an Urban Haat at **Eluru** (**Andhra Pradesh**) has been sanctioned at a project cost of Rs. 3.00 crores with release of Rs. 78.60 lakhs during 2015-16 in favour of Shilparamam Arts, Crafts & Cultural Society, Madhapur, Hyderabad.

FAQ- Mega Cluster

About Mega Cluster Scheme : Mega cluster approach is a drive to scale up the infrastructural and production chain at Handicrafts clusters which have remained unorganized and have not kept pace with the modernization and development that have been taken place so far. The prospects of this sector lie in infrastructural Upgradation, modernization of the machinery and product diversification. Innovative manufacturing as well as designing know-how, furthered by brand building of the native products hold the key to creating a niche market for the products manufactured by the clusters. The programme supports the Upgradation of infrastructural facilities coupled with market linkages and product diversification.

Question: What is purpose of Megacluster scheme.

Ans:

- To increase income of Artisans.
- To enhance production and exports.
- To upgrade living standards of artisans.

Question: What interventions are in megacluster scheme.

Ans:

- I. Soft Interventions
 - a. Technical Training
 - b. Design & Product Development
 - c. Soft Skill Training Awareness Workshop
 - d. Craft Exchange Programme Market Linkage
- II. Hard Interventions
 - a. Common Facility Centres/Community Production Centres
 - b. Raw Material Bank
 - c. Trade Facilitation Centre
 - d. Resource Centre

Question: How many megacluster have been sanctioned so far and details thereof.

Ans: 6(Six) Mega cluster at Moradabad, Lucknow, Bareilly (Uttar Pradesh), Jodhpur, Rajasthan, Srinagar, Jammu & Kashmir & Jammu & Kashmir with project cost of Rs. 376.93 crores (GOI Share : 269.50 crores) with total release of Rs.115.38 crores. During 2015-16 the released amount is Rs. 40.03 crores.

Question What initiatives are being under taken under Linking Textile with Tourism?

Ans. Under the programme namely "Linking Textiles with Tourism" major tourist places are being linked with Handicrafts Clusters and Infrastructure Support combined with Soft interventions are being proposed in such clusters to create awareness, and value-proposition for handicraft items, and also create demand in domestic market, publicity campaign has been initiated. Under this programme Raghurajpur in Odisha has been taken up for over-all development with an sanctioned amount of Rs. 10.00 Crores with release of 6.00 cores under this programme during 2014-15 & 2015-16.

Question Which are the locations identified for "Linking Textiles with Tourism"?

Ans. The O/o DC(Handicrafts) Has Identified and proposes for two Tourist Destinations viz. at Tirupati (Andhra Pradesh) and Mathura (Uttar Pradesh) and the necessary development Plan will be prepared by August 2016 for implementation in association with the respective State Governments. The main thrust shall lay emphasis for implementation of Special projects comprising of the following:

- i. Marketing activities including
- ii. Setting up of Emporia's/way side amenities.

- iii. Publicity and promotional Activities in collaboration with Tourism department of the respective state.
- iv. Handicrafts Development activities (Design support, Common Facility Centres & Raw material Bank etc.)

Question Give details about special projects for Integrated Development & Promotion of Handicrafts?

Ans. Special project for Integrated Development and Promotion of Handicrafts has been sanctioned for Tamil Nadu, Jharkhand, Uttarakhand, Kerala, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Varanasi (U.P.), Karnataka, Telangana and Bihar States at a project cost of 208.81 crores. Rs. 74.79 has been released. Under These projects Design Interventions, Skill Upgradation training (Soft and Hard) Distribution of Tools, Setting up of Common Facility Centres, and Marketing exhibitions will be undertaken so that the artisans productivity and income gets increases. Under these projects 158805 handicrafts artisans will be benefitting directly and indirectly.

FAQ- Marketing Support Services Scheme

Question: About MSS scheme.

Ans. In order to promote and Market Handicrafts financial assistance is provided to different eligible organizations to organize/participate in domestic and international Craft Exhibitions/seminars in metropolitan cities/state capitals / places of tourist or commercial interest/other places. This will provide direct marketing platform to the handicrafts artisans/SHGs from various parts of the country. Major components under this scheme are detailed below:

- 1. Gandhi Shilp Bazaar/Craft Bazars
- 2. Exhibitions
- 3. Hiring of built up space in events organized by other organizations
- 4. National Handicrafts Fair
- 5. Craft Awareness Programme
- 6. Participation in international fairs and exhibition abroad
- 7. Folk Craft Festival of India/ Stand Alone Shows/ road shows
- 8. Market studies abroad
- 9. International craft exposure programme
- 10. Cultural Exchange Programme
- 11. Compliance, social and other welfare measures
- 12. Buyer seller meet in India
- 13. Buyers sellers meet abroad and reverse buyer seller meet in India
- 14. Marketing workshops
- 15. Workshops/ seminars/ symposiums/ programmes organized abroad
- 16. Rental for warehousing
- 17. Publicity via print and electronic media
- 18. Web Marketing

Question: Benefits of the scheme for artisans.

Ans.

- Allotment of stalls in marketing events such as craft Bazars, exhibitions, fair, etc
- TA/DA to artisans who participated in above events to the tune of max Rs 2000.
- Freight Chargers to the tune of max Rs 1000.
- Assistance to artisans to participates in International Events.

Question: How to avail benefits under ongoing events.

Ans. He/she may apply to concern marketing center against the advertisement. List of marketing center available on website.

Question: What is the procedure for allotment of stalls.

Ans. Allotment of stalls to artisans is on basis of lottery drawn by concerned field offices leading to allotment of stalls in applied events.

Question: When Suraj Kund Mela held.

Ans. It is held annually from 1st Feb to 15th Feb.

Question: What is the procedure to get stall at Dilli Haat.

Ans. Artisans can submit his application to field offices and artisans selected through lottery system as per quota fixed for field offices and after selection their applications are forwarded to Headquarters office for further allotment at a costs Rs.690 (including tax) per day for 15 days along with refundable security deposit of Rs.5000/-.

Question: How frequently he/she may apply for stall at Dilli Haat.

Ans. After a gap of six months he/she may reapply for stall at Dilli Haat.

Question Who are major importing countries of Indian handicrafts and the main items exported.

Ans. The major importing countries of Indian handicrafts include USA, UK, Germany, UAE, France and Italy etc. The major items of export of handicraft are carpets and other floor covering, artmetal ware, hand printed textiles scarves, embroidered and crocheted goods, shawls as artwareand Zari and Zari goods etc.

Question: What is the share of Indian handicrafts in world market.

Ans. The Share of export of Indian handicrafts in the world market is less than 2%. The Share of export of Handmade Carpet in world market is 33% (Highest in the world).

Question: who are the major countries competing with Indian handicrafts exports.

Ans. The following countries are competing with Indian handicrafts exports:

- i. China (all handicraft items & hand-knotted carpets.)
- ii. Iran & Pakistan (Hand-knotted Carpets)
- iii. Korea (Metal ware)
- iv. Thailand (Wood, Cane & Bamboo)
- v. Philippines (Cane & Bamboo & Natural Fibres)
- vi. Indonesia (Cane & Bamboo)
- vii. Bangladesh (Cane & Bamboo)
- viii. Pakistan (Wood & Stone Crafts)
 - ix. Mexico (Iron Art Ware)
 - x. African Countries (Textiles & other crafts)

Question: What steps are taken by the Government for boosting export of handicrafts.

Ans. The steps taken by the Government to boost the export of handicrafts as well as handmade carpets and other floor coverings as under:

- Participations in fairs/exhibitions abroad.
- Thematic display and live demonstration of crafts in exhibitions abroad.
- Organizing buyer-seller meets in India and abroad.
- Brand image promotion of Indian handicrafts abroad through seminars and publicity as well as awareness programmes about technology, packaging.
- Organizing Indian handicrafts & Gifts Fair twice a year besides product specific shows.
- Display of new designs through exporters for creating awareness and marketing.
- Providing participation under assistance of MDA Scheme of Ministry of Commerce to Exporter Members.
- Providing assistance/information concerning to the trade.

Question: Whether the Government has any proposal for promoting handicrafts at tourist points.

Ans. The Government has initiated development of craft villages at various tourist locations under the programme namely "**Linking Textiles with Tourism**". All the State Governments have been requested to send proposals for development of craft clusters at tourist points in their states. Raghurajpur in Odisha has been taken up for over-all development as the model craft village. Rs. 10.00 Crores has already been sanctioned under this programme during 2014-15.

Question Who are the beneficiaries of digital market place for Rural Handicrafts products?

Ans. Under the Indian handcrafts industries following entities are envisaged to get the benefits either directly or indirectly through the digital market place:

- i. Handicraft Entrepreneurs They can get the benefit to show case their products to the world at a very low cost.
- ii. Primary Producers
- iii. Manufacturers & Exporters Opportunities to uncap the potential of markets where exports can be increased.
- iv. Importers / Overseas Buyers Convenience of getting a glimpse of products through the portal and get in touch with the Exporters and manufacturers easily online.
- v. Artisans / Craft Persons/ Weavers It will be an international platform to show case their talent and creativity.
- vi. Regional Offices
- vii. Export Facilitation Centers i.e. 52 Marketing Clusters and many more.
- viii. Buying Agents will get an opportunity to directly communicate and do business with the Craftsmen.
 - ix. Research Analysts
 - x. State Govt. Emporia's
 - xi. Any other organization / individual having similar objective
- xii. Self Help Groups

Question What is the implementing methodology of digital market place for rural handicrafts products?

Ans. The following is the implementing methodology of digital market place for rural handicrafts products:

- i. Design of EPCH's Online E-Marketing Store A design layout of the store starting from creating a wireframe of the online store is required to have a virtual showcase portal of the products.
- ii. Setup of EPCH's Online E-Marketing Store Products are virtually placed in the online portal with proper photography and viewing practices along with webpages creation of the members, craftsmen, primary producers, etc.
- iii. Launch of EPCH's Online E-Marketing Store
- iv. Training Session to Help Member Exporters and Primary Producers Manage Its Online Product Catalog Training sessions will be provided to all primary producers/craftsmen/member exporters, etc. about the working & benefits of the online marketplace through seminars & webinars.
- v. Linking it with the Trade Facilitation Centers Linking the E-marketing platform with the different Trade Facilitation Centers will provide the primary producers and craftsmen to have an excess to such opportunity to showcase their talent and get the required information.

Ouestion: What is India Handmade Bazar?

Ans. A producer portal (India Handmade Bazar) has been made to provide direct market access facility to genuine handicrafts artisans and to provide them updated information about handicrafts producers and their products to retail customers, e-commerce players, wholesalers and producers and the same is going to be launched on 29.1.2017 at Shillong during North East Investment Summit. The portal will be extremely helpful for the artisans as well as buyers of Handicrafts art effects.

FAQ-Research and Development

About R&D Scheme: Research and Development scheme was introduced to conduct surveys and studies of important crafts and make in-depth analysis of specific aspects and problems of Handicrafts in order to generate useful inputs to aid policy Planning and fine tune the ongoing initiatives; and to have independent evaluation of the schemes implemented by this office. Following activities will be under taken during the 12th Plan.

- i. Survey & Studies on different topics.
- ii. Financial assistance for preparation of legal, para legal, standards, audits and other documentation leading to labeling/certification.
- iii. Financial assistance to organizations for evolving, developing a mechanism for protecting crafts including languishing crafts, design, heritage, historical knowledge base, research and implementation of the same enabling the sector/segment to face challenges.
- iv. Conducting Census of Handicraft artisans of the country.
- v. Registration of Crafts under Geographical Indication Act & necessary follow up on implementation.
- vi. Assisting handicrafts exporters in adoption of global standards and for bar coding, including handicrafts mark for generic products.
- vii. Financial assistance for taking up problems/issues relating to brand building and promotion of Indian handicrafts.
- viii. Conducting of Workshops/Seminars on issues of specific nature relating to handicrafts sector.

Question: Benefits to individual artisans under R&D scheme Ans.

- Workshop/Seminar to sensitize participants on various issues faced by artisans of specific crafts.
- Survey/Studies on various issues to find out solutions to resolve problem faced by artisans
- Registration of Craft under GI(Geographical Indication) Act.
- Brand Building to promote specific craft.
- TA/DA to participants to attend the workshop/seminar the tune of Rs 55,000 per month.
- Wage compensation to Artisans to the tune of Rs. 300 per day for 25 days in one months.

Question: Definition of Handicrafts?

Ans: Any item predominantly made by Hand..... graced with visual appeal..... in the nature of ornamentation or inlay work or similar work with substantial artistic nature not a mere pretence.

Question: What is a Geographical Indication? Ans.

- It is an indication
- It originates from a definite geographical territory.
- It is used to identify agricultural, natural or manufactured goods
- The manufactured goods should be produced or processed or prepared in that territory.
- It should have a special quality or reputation or other characteristics

Question: What is the benefit of registration of geographical indications? Ans:

- It confers legal protection to Geographical Indications in India
- Prevents unauthorized use of a Registered Geographical Indication by others
- It provides legal protection to Indian Geographical Indications which in turn boost exports.
- It promotes economic prosperity of producers of goods produced in a geographical territory.

Question: Who can apply for the registration of a geographical indication?

Ans: Any association of persons, producers, organisation or authority established by or under the law can apply:

- The applicant must represent the interest of the producers
- The application should be in writing in the prescribed form
- The application should be addressed to the Registrar of Geographical Indications alongwith prescribed fee.

Question: Who can use the registered geographical indication?

Ans: An authorised user has the exclusive rights to the use of geographical indication in relation to goods in respect of which it is registered.

Question: How long the registration of Geographical Indication is valid?

Ans: The registration of a geographical indication is valid for a period of 10 years

Question: Kindly provide the list of GI registered crafts.

Ans: List of GI registered articles is available on portal of Office of Controller General of Patents, Designs & Trade Marks i.e. http://www.ipindia.nic.in.

Question : Definition of Endangered(earlier called Languishing) crafts. Ans:

Definition arrived at after a study was conducted through NIFT, New Delhi.

- 1. The total numbers of craft practitioners are less than 25.
- 2. Crafts persons have replaced craft activity with another activity because the craft practice is unviable... if reduction in time spent on the particular craft is more than 50 per cent in the past three years.
- 3. Next generation in the family is not learning the craft and there is no recruitment of new persons outside the family. Percentage of new recruitment is less than 40%.

Question: Kindly provide the list of endangered crafts. Ans

- Gheso Work of Bikaner, Rajasthan
- Kavad of Bassi, Rajasthan
- Danka of Udaipur, Rajasthan
- Rogan Painting of Nirona, Gujarat
- Warak printing of Udaipur, Rajasthan
- Mend Ki Chapai of Sanganer, Rajasthan
- Split Ply-braiding of Thar Region (India), Rajasthan
- Pithora Painting of Jhabua, Madhya Pradesh
- Hand Block Printing of Tarapur/Javad,Madhya Pradesh
- Sanjhi Crafts of Mathura, U.P.
- Cuttaki Chappals of Barang, Orissa

- Horn Craft of Cuttack, Orissa
- Ganjeefa Cards of Sonepur, Orissa
- Wood Toys of Bargarh, Orissa
- Copper snake of Boudh, Orissa
- Namda of Srinagar, Kashmir
- Pinjrakari of Srinagar, Kashmir
- Pottery of Srinagar, Kashmir
- Silver ware of Srinagar, Kashmir
- Tapestry of Srinagar, Kashmir
- Wagu of Srinagar, Kashmir
- Chamba Rumal of Chamba, Himachal Pradesh
- Suri Bowl/Sherpai of Birbhum, West Bengal

FAQs of Legal Section to upload on the DC (Handicrafts) Website:-

Que:- What is LIMBS Portal and its objectives?

Ans- Legal Information & Management Briefing System (LIMBS) is a web based portal developed by Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice for monitoring and handling of various court cases of Government Departments and Ministries.

Objective:

To create a National Portal of all cases pending in various courts/ Tribunals as a part of the e-Governance initiative. Once completed, information relating to all court/ tribunal cases being handled by the various Ministries/ Departments and other organs of the Government of India will be available on a single web-based online application.

Que:- Which cases are to be uploaded on the LIMBS account?

Ans- The cases pertaining to Supreme Court are uploaded & updated on LIMBS by Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice. Cases pertaining to High Court and Tribunals are to be uploaded & updated by the concerned Commissionerate under whose jurisdiction the case falls.

Que:- What is Effective Hearing/ Non-Effective Hearing?

Ans:- Effective hearing means a hearing in which either one or both the parties involved in a case are heard by the court on facts or law of the case. If the case is mentioned and adjourned or only directions are given or only judgment is delivered by the court, it would not constitute an effective hearing but will be termed as non-effective hearing.

Que:- How the empanelled Government Counsel is engaged against the court cases of the Department?

Ans:- The empanelled Government Counsel is engaged by the department through the litigation section of the Hon'ble CAT/ High Court where the case is filed against the Department and in regard to Supreme Court is concerned, Government Counsel is engaged by the Central Agency Section of Supreme Court.

Que:- How the fee is being paid to Central Government Counsel by the Department?

Ans:- The fee of the Central Government Counsel are being paid as per rates fixed by Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice issued by them from time to time.

विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले विधिक अनुभाग के एफएक्य:-

प्रश्न:- एलआईएमबीएस पोर्टल क्या है और इसके उद्देश्य क्या है?

उत्तर:- लीगल इन्फोर्मेशन एँड मेनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) एक वेब आधारित पोर्टल है जिसे सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों के विभिन्न न्यायालयी मामलों की निगरानी एवं संचालन हेतु विधिक मामले विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।

उद्देश्य:-

ई-गवर्नेंस पहल के भाग के रूप में विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में ,लंबित सभी मामलों के एक राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण। पूरा होने पर, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों द्वारा देखे जा रहे सभी न्यायालयों/ न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के मामलों से संबंधित सूचना एक सिंगल वेब आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी।

प्रश्न:- एलआईएमबीएस खाते में किन मामलों को अपलोड किया जाएगा?

उत्तर:- एलआईएमबीएस पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मामलों को विधिक मामले विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अपलोड एवं अद्यतित किया जाएगा। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) से संबंधित मामलों को, जिस संबंधित कमिश्नरी के अधिकार-क्षेत्र में मामला है, उसके द्वारा अपलोड एवं अद्यतित किया जाएगा।

प्रश्न:- प्रभावी सुनवाई/गैर-प्रभावी सुनवाई क्या है?

उत्तर:- प्रभावी सुनवाई का अर्थ है कि ऐसी सुनवाई जिसमें किसी मामले में शामिल एक या दोनों पार्टियों को न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों या कानून के आधार पर सुना जाता है। यदि मामले का उल्लेख कर स्थगित कर दिया जाता है या केवल निदेश दिए जाते हैं या न्यायालय द्वारा केवल निर्णय दिया जाता है, तो इसे एक प्रभावी सुनवाई नहीं बल्कि एक गैर-प्रभावी सुनवाई माना जाएगा।

प्रश्न:- विभाग के अदालती मामलों के खिलाफ सूचीबद्ध सरकारी वकील को कैसे नियुक्त किया जाता है?

उत्तर:- सूचीबद्ध सरकारी वकील को विभाग द्वारा माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, (कैट)/उच्च न्यायालय, जहां विभाग के विरुद्ध मामला दायर किया गया है, के मुकदमा अनुभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सरकारी वकील को सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है।

प्रश्न:- विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार के वकील को फीस का भुगतान कैसे किया जाता है?

उत्तर:- केंद्रीय सरकार के वकील को विधिक मामले विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर फीस का भुगतान किया जाता है।